



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-जे.के.-अ.-01032024-252524
CG-JK-E-01032024-252524

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 127]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 28, 2024/फाल्गुन 9, 1945

No. 127]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 28, 2024/PHALGUNA 9, 1945

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख)

अधिसूचना

जम्मू, 12 फरवरी 2024

क्रमांक जेईआरसी-जेकेएल/राजि/2024/6—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 के साथ पठित धारा 46 के तहत प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में इसे सक्षम करने वाली अन्य सभी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है:

अध्याय I

1. संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और विस्तार

- इन विनियमों को संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (विद्युत आपूर्ति में आने वाले व्यय और अन्य विविध शुल्क की वसूली के लिए लाइसेंसधारी की शक्ति) विनियम, 2024 कहा जाएगा।
- ये विनियम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सभी वितरण लाइसेंसधारियों पर लागू होंगे।

- 1.3. ये विनियम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

अध्याय-II

2. परिभाषाएँ

- 2.1 इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

- (क) "अधिनियम" का अर्थ है विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36), जिसमें संशोधन भी शामिल है;
- (ख) "आवेदक" का अर्थ है किसी भूमि/परिसर का मालिक या कब्जाधारी (ऐसे मालिक या कब्जाधारी के अधिकृत प्रतिनिधि सहित) जो बिजली की आपूर्ति और/या इन विनियमों के तहत आने वाले किसी अन्य उद्देश्य के लिए लाइसेंसधारी को आवेदन करता है;
- (ग) "आयोग" का अर्थ है संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख;
- (घ) "वितरण लाइसेंसधारी" का अर्थ है अपने आपूर्ति क्षेत्र में उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए वितरण प्रणाली को संचालित और रखरखाव के लिए अधिकृत लाइसेंसधारी।
- (ङ) "वितरण मेन" का अर्थ है किसी भी मेन लाइन का वह भाग जिसके साथ एक सर्विस लाइन जुड़ी हुई है या जोड़ी जानी है।
- (च) "डिमांड नोटिस" का अर्थ है संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (विद्युत आपूर्ति कोड) विनियम, 2023 के प्रावधानों के साथ पठित इन विनियमों के अनुसार आवेदक को लाइसेंसधारी द्वारा जारी किया जाने वाला नोटिस।
- (छ) "वितरण प्रणाली" का अर्थ है पारेषण लाइनों या उत्पादन स्टेशन कनेक्शन पर वितरण बिंदुओं और उपभोक्ता की स्थापना के कनेक्शन बिंदु के बीच तारों और संबंधित सुविधाओं की प्रणाली;
- (ज) "विद्युत संयंत्र" का अर्थ है कोई भी संयंत्र, उपकरण, यंत्र, या प्रणाली या उसका कोई भी भाग, जिसका उपयोग बिजली के उत्पादन, पारेषण, वितरण या आपूर्ति के लिए किया जाता है या जो उससे जुड़ा होता है, लेकिन इसमें निम्न शामिल नहीं है:
- एक विद्युत लाइन; या
 - किसी भी परिसर में आपूर्ति की गई बिजली की मात्रा का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला मीटर; या
 - उपभोक्ता के नियंत्रण में एक विद्युत उपकरण या यंत्र।
- (झ) "एक्सट्रा हाई टेंशन (ईएचटी)" का अर्थ है 33000 वोल्ट से ऊपर की आपूर्ति वोल्टेज;
- (ञ) "हाई टेंशन (एचटी) आपूर्ति" का अर्थ है 400 वोल्ट से अधिक और 33000 वोल्ट से कम वोल्टेज पर आपूर्ति की गई बिजली।
- (ट) "लो टेंशन (एलटी) आपूर्ति" का अर्थ है 440 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर आपूर्ति की गई बिजली।
- (ठ) "आपूर्ति कोड" का अर्थ है समय-समय पर इसके संशोधन और इन विनियमों के प्रावधानों के साथ पठित संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (विद्युत आपूर्ति कोड) विनियम, 2023; और

(ड) अन्य शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, लेकिन अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में दिए गए हैं।

(ढ) "वर्ष" का अर्थ है वित्तीय वर्ष।

2.2 इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो यहां परिभाषित नहीं हैं, लेकिन आयोग के अधिनियम/नियमों या किसी अन्य विनियम में परिभाषित हैं, उनका अर्थ अधिनियम/नियमों या आयोग के किसी अन्य विनियम के तहत दिया गया अर्थ होगा।

2.3 व्याख्या:

इन विनियमों की व्याख्या में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

- (क) एकवचन या बहुवचन शब्द में, जैसा भी मामला हो, क्रमशः बहुवचन या एकवचन शब्द भी शामिल माना जाएगा।
- (ख) "शामिल" या "सहित" शब्द के बाद "बिना किसी सीमा के" या "लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं" माना जाएगा, भले ही ऐसे शब्दों के बाद ऐसे वाक्यांश या समान शब्द नहीं हों।
- (ग) यहां पर "विनियम" के संदर्भ को लागू कानूनों के अनुसार समय समय पर संशोधित या परिवर्तित इस विनियमावली के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।
- (घ) शीर्षक सुविधा के लिए डाले गए हैं और इन विनियमों की व्याख्या के उद्देश्य से इन्हें ध्यान में रखना आवश्यक नहीं है।
- (ङ) कानूनों, विनियमों या दिशानिर्देशों के संदर्भों को ऐसे कानूनों, विनियमों या दिशानिर्देशों को समेकित करने, संशोधित करने या प्रतिस्थापित करने, जैसा भी मामला हो, वाले सभी प्रावधानों को शामिल करने के रूप में माना जाएगा।

अध्याय- III

3.1. वितरण लाइसेंसधारी का अनुरोध पर विद्युत आपूर्ति करने और व्यय की वसूली करने का दायित्व

- i. वितरण लाइसेंसधारी, अधिनियम की धारा 43 में निहित प्रावधानों के अधीन, उपभोक्ताओं के परिसर में बिजली की आपूर्ति करने के अपने दायित्व को पूरा करेगा। अधिनियम और इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन और ऐसे निर्देशों, आदेशों या दिशानिर्देशों के अधीन, जो आयोग समय-समय पर जारी कर सकता है, प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी के पास बिजली की आपूर्ति चाहने वाले आवेदक से किसी भी व्यय को वासूल करने की अनुमति है, जो वितरण लाइसेंसधारी को आवेदक को ऐसी आपूर्ति देने के उद्देश्य से विशेष रूप से कोई विद्युत लाइन या विद्युत संयंत्र प्रदान करने के लिए उचित रूप से खर्च करने की आवश्यकता होगी।
- ii. लाइसेंसधारी सार्वजनिक सड़कों पर, उस संपत्ति की सीमा के बाहर जिसके संबद्ध में विद्युत आपूर्ति हेतु मांग प्राप्त हुई है, अपने निकटतम वितरण मेन से 30 मीटर की लंबाई तक एक सर्विस लाइन (मौजूदा वितरण प्रणाली के प्रकार के आधार पर ओवरहेड लाइन या भूमिगत केबल) निःशुल्क बिछाएगा।
- iii. संपूर्ण सर्विस लाइन के एक हिस्से का भुगतान उपभोक्ता द्वारा करने और वितरण लाइसेंसधारी और जिसके द्वारा रखरखाव किया जाना है उसकी संपत्ति होगी और वितरण लाइसेंसधारी के पास किसी अन्य को इस सर्विस लाइन के द्वारा या अन्यथा किसी अन्य व्यक्ति को बिजली प्रदान करने का अधिकार होगा, सिवाय इसके कि ऐसी आपूर्ति पहले से ही जुड़े उपभोक्ता को आपूर्ति के लिए बाधक है।

3.2. व्यय वसूल करने की शक्ति: अधिनियम और इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन और ऐसे निर्देशों, आदेशों, या दिशानिर्देशों के अधीन जो आयोग जारी कर सकता है, वितरण लाइसेंसधारी ऐसे खर्चों को वसूल करने के लिए

अधिकृत है जो उसके द्वारा बिजली की आपूर्ति देने के उद्देश्य उपयोग की जाने वाली किसी भी विद्युत लाइन और विद्युत संयंत्र को उपलब्ध कराने में आ सकते हैं और वसूली योग्य व्यय की गणना इन विनियमों में निहित सिद्धांतों के अनुसार और इन विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदित दरों पर की जाएगी।

3.3. सर्विस लाइन प्रदान करने के लिए व्यय - वितरण लाइसेंसधारी आवेदक के परिसर में सर्विस लाइन बिछाने से संबंधित कार्यों पर उचित रूप से किए गए सभी खर्चों के साथ-साथ आवेदक के परिसर में टर्मिनल उपकरण और अन्य व्यवस्थाएं प्रदान करने की लागत (मीटर, सीटी और पीटी की लागत को छोड़कर) की वसूली करेगा:

बशर्ते कि वितरण लाइसेंसधारी, आयोग के अनुमोदन से, एक या अधिक श्रेणियों के आवेदकों को कोनेक्टिड भार या अनुबंध मांग, वोल्टेज लेवल, भार की प्रकृति, शुल्क के वर्गीकरण और सर्विस लाइनों की लंबाई और सुविधा के अनुसार विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए सेवा के लिए औसत या मानक दरों के आधार पर सभी प्रकार के व्यय को वसूल करेगा।

बशर्ते कि ऐसे मामलों में जहां किसी विशेष प्रकार की सर्विस लाइन के लिए किसी विशेष अवधि के लिए आयोग द्वारा मानक दरें अनुमोदित की गई हों, उस प्रकार की सर्विस लाइन बिछाने के लिए वितरण लाइसेंसधारी द्वारा केवल और उस अवधि के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित दरों, नियमों और शर्तों के अनुसार वसूली की जाएगी:

बशर्ते कि आयोग लाइसेंसधारी को सभी या किसी भी श्रेणी के लिए मानक लागत डेटा के आधार पर, इस विनियमन के तहत निर्धारित प्रति किलोमीटर दरों पर सर्विस लाइन की लागत वसूल करने का निर्देश दे सकता है:

बशर्ते कि औसत या मानक दरें, जब तक कि आयोग द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित न हो, अस्थायी कनेक्शन पर लागू नहीं होंगी।

3.4. सर्विस लाइनों के अलावा वितरण प्रणाली के लिए व्यय - (1) वितरण लाइसेंसधारी को वितरण प्रणाली के निर्माण के लिए, वृद्धि या योजन सहित, किए गए या किए जाने वाले खर्चों के ऐसे अनुपात की वसूली के लिए भी अधिकृत किया जाएगा, जैसा कि आयोग द्वारा उचित माना जा सकता है, जो सर्विस लाइनों के अतिरिक्त है, जिसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है जो कि एक सतत और समन्वित प्रक्रिया है, ताकि वह सप्लाई कोड के अंतर्गत स्थायी कनेक्शन के लिए आवेदकों को बिजली आपूर्ति के अपने दायित्व को पूरा कर सके और इस प्रकार कि वसूली इस विनियम और विनियमावली के अन्य उचित प्रावधानों के अंतर्गत नियंत्रित होगी।

(2) उप-विनियम (3) के तहत प्रदान किए गए प्रावधानों के अलावा, वितरण लाइसेंसधारी मानक दरों और संबंधित नियमों और शर्तों पर ढांचा गत विकास शुल्क के रूप में खर्चों की वसूली करेगा, जैसा कि विभिन्न स्लैबों और कनेक्टेड भार या अनुबंध मांग और/या आपूर्ति वोल्टेज और/या भार की प्रकृति और/या भौगोलिक क्षेत्रों और/या टैरिफ वर्गीकरण के आधार पर आयोग द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है:

बशर्ते कि कनेक्टेड भार या अनुबंध मांग के लिए प्रति किलोवाट या केवीए मानक दरों का निर्धारण करने के लिए, जैसा भी मामला हो, आयोग मानक आधार पर निम्नलिखित पर विचार करेगा:

- i. मानक आधार पर दो बे (अर्थात् ट्रांसफार्मर के प्रत्येक तरफ एक) के साथ, उचित क्षमता और वोल्टेज रेटिंग के एक ट्रांसफार्मर को प्रदान करने, स्थापित करने और चालू करने की अनुमानित लागत, लेकिन इसमें भूमि और सबस्टेशन के अन्य घटकों की लागत शामिल नहीं होगी;
- ii. ऐसी मानक लंबाई की दो विद्युत लाइनों की अनुमानित लागत (अर्थात्, पूर्ववर्ती खंड (i) के तहत विचार किए गए ट्रांसफार्मर के प्रत्येक तरफ के लिए एक) जो आयोग द्वारा उचित मानी जा सकती है;
- iii. कोई अन्य लागत जो आयोग द्वारा उचित समझी जाए;

iv. कनेक्टेड भार या अनुबंध की मांग, जैसा भी मामला हो, जिसका निर्माण उपयुक्त मांग और विविधता कारकों और प्रणाली में दोहराव के लिए उपयुक्त कारक (कों) को लागू करने के बाद पूर्ववर्ती खंड (i), (ii), और (iii) के तहत विभिन्न श्रेणियों के लिए किया सकता है; और

v. आवंटन कारक और साथ-साथ नियम और शर्तें, जैसा कि आयोग उचित और उपयुक्त समझे:

बशर्ते कि आयोग, जैसा भी मामला हो, अनुबंध मांग के प्रति केवीए और कनेक्टेड भार के प्रति किलोवाट के संदर्भ में मानक दरें तय कर सकता है:

बशर्ते कि आयोग, मानक दरें तय करते समय, इस उप-विनियम के प्रथम खंड के तहत गणना की गई दरों को संबंधित श्रेणियों के लिए ऐसी अधिकतम सीमा तक सीमित कर सकता है, जैसा वह आवश्यक समझे:

बशर्ते कि मानक दरें, जब तक कि आयोग द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित न हो, अस्थायी कनेक्शन पर लागू नहीं होंगी:

बशर्ते कि उप-स्टेशन (ओं) पर निष्पादित किए जाने वाले आवश्यक बे की पूरी लागत, जिसमें सभी घटकों की लागत के साथ-साथ उप-विनियमन (9) के तहत अतिरिक्त वसूली या रिफंड भी शामिल है, विशेष रूप से किसी आवेदक या आवेदकों के समूह को बिजली की आपूर्ति को सुविधाजनक बनाने और/या नियंत्रित करने के लिए बेज़ को फिर से व्यवस्थित करने की लागत सहित, यदि कोई हो, भी शामिल होगी, मानक दरों के अतिरिक्त आवेदक (आवेदकों) से वसूल की जाएगी:

बशर्ते कि ऐसे मामलों में जहां उप-विनियम (3) के प्रावधान लागू होते हैं, इस उप-विनियम और उप-विनियम (9) के तहत गणना की गई राशि को ऐसे आवेदकों द्वारा वहन की जाने वाली न्यूनतम राशि माना जाएगा।

(3) किसी आवेदक या आवेदकों के समूह के मामले में, जहां-

i. किसी ऐसे क्षेत्र में एक साइट पर बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसमें आवेदकों द्वारा आवश्यक प्रकृति और मात्रा के भार को पूरा करने के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचा नहीं है और जहां भार में कोई अन्य महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होती है, उसके समान वोल्टेज स्तर पर जिस स्थान पर आपूर्ति की आवश्यकता है, वह तत्काल भविष्य में अपेक्षित है, जिसमें वे स्थान भी शामिल हैं जहां भार का स्थान भौगोलिक कारकों और बुनियादी कच्चे माल की उपलब्धता पर निर्भर करता है जैसे कि सीमेंट कारखानों और जल-विद्युत परियोजनाओं के लिए निर्माण शक्ति; और

ii. न्यूनतम मानकीकृत या सामान्य रूप से लाइसेंसधारी द्वारा उचित वोल्टेज के लिए नियोजित क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, उचित बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए आवश्यक कार्य कि लागत उपनियम (2) के अनुसार आवेदक या आवेदकों के समूह द्वारा देय कुल राशि से अधिक हो जाती है;

लाइसेंसधारी को आवेदक या आवेदकों के समूह से ऐसे आवेदकों को बैकअप प्रणाली और बिजली की आपूर्ति में पर्याप्त प्रावधान की सुविधा के लिए आवश्यक कार्यों की पूरी अनुमानित लागत जमा करने की आवश्यकता हो सकती है:

बशर्ते कि यदि आवेदन प्राप्त होने के बाद लेकिन काम शुरू होने से पहले, मूल आवेदक के समान वोल्टेज स्तर पर स्थायी आधार पर भार जारी करने के लिए कुछ और आवेदन प्राप्त होते हैं, तो मूल आवेदकों के लिए परिकल्पित कार्यों का उपयोग करके, ऐसे अतिरिक्त आवेदनों को लागत की वसूली के उद्देश्य से मूल आवेदनों के साथ जोड़ा जाएगा और मूल आवेदकों के बराबर माना जाएगा और विनियम 3.4 और विनियम 3.5 के सभी उद्देश्यों के लिए मूल आवेदक के रूप में भी माना जाएगा:

बशर्ते कि इस उपविनियम के तहत आवेदकों के समूह के लिए निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के मामले में, लागत निम्नानुसार विभाजित की जाएगी-

- i. सामान्य कार्यों की लागत विभिन्न आवेदकों की अनुबंध मांगों के अनुपात में आनुपातिक आधार पर वसूल की जाएगी;
- ii. विशिष्ट कार्यों की लागत विशेष रूप से उस आवेदक (कों) से प्राप्त की जाएगी जिनके लिए ऐसे कार्यों को निष्पादित किया जाना आवश्यक है; और
- iii. अन्य कार्यों की लागत आनुपातिक आधार पर उन आवेदकों से प्राप्त की जाएगी जिनके लाभ के लिए ऐसे कार्यों का उपयोग किया जाना आवश्यक है:

बशर्ते कि इस उप-विनियम के तहत जारी किए गए कनेक्शन के मामले में आगामी उप-विनियम (4) से (9) के तहत प्रावधान भी लागू होंगे।

(4) लाइसेंसधारी बाद के आवेदकों को कनेक्शन जारी करने के लिए, या अन्यथा, उप-विनियम (3) के तहत निष्पादित कार्यों में अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करने और ऐसे बाद के आवेदकों से, उप-विनियम (2) और (9) के अनुसार, जैसा लागू हो, शुल्क/लागत की वसूली के लिए भी हकदार होगा।

(5) उप विनियम 3 के तहत मूल आवेदक, जिन्होंने बुनियादी ढांचे के कार्यों की पूरी लागत वहन की है, पूर्ववर्ती उप-विनियम (4) के अनुसार उनकी लागत और प्रयुक्त क्षमताओं पर अपने द्वारा बनाई गई कुल प्रणाली में 30% अतिरिक्त प्रदान करने के बाद, अतिरिक्त क्षमता, यदि कोई हो, का पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपयोग करने के हकदार होंगे और ऐसी अतिरिक्त क्षमता के उपयोग के लिए ऐसे मूल आवेदक/विकासशील एजेंसी से कोई अतिरिक्त ढांचागत विकास शुल्क नहीं वसूला जाएगा जब तक कि राशि विशिष्ट कार्यों की लागत को छोड़कर और आगामी उप-विनियमों (6), (7) और (8) के तहत रिफंड की राशि, यदि कोई हो, को समायोजित करने के बाद उसके द्वारा वहन की जाने वाली राशि उप-विनियम (2) और (9) के अनुसार स्वीकृत कुल कनेक्टेड भार/अनुबंध मांग के संबंध में उसके द्वारा देय न्यूनतम राशि से अधिक है, जिसमें इस उप-विनियम के तहत उसके पक्ष में स्वीकृत की जाने वाली मांग भी शामिल है, जैसा कि संबंधित अवधि के लिए दरों पर गणना की गई है, जिसमें ऐसे भार/मांगों स्वीकृत की जाती हैं।

(6) यदि मूल आवेदक के समान वोल्टेज स्तर पर बिजली की स्थायी आपूर्ति के लिए उप-विनियम (3) के तहत निष्पादित कार्यों के चालू होने की तिथि के 5 वर्ष कि अवधि के भीतर उप-विनियम (3) के तहत कोई आगामी आवेदन प्राप्त होता है और ऐसे आवेदकों को बिजली की आपूर्ति में अनिवार्य रूप से नियमित आधार पर ऐसे कार्यों का उपयोग शामिल होता है, तो उपनियम (8) के अनुसार अतिरिक्त क्षमता के प्रयोग के लिए इस प्रकार के बाद के आवेदकों से वास्तव में वसूल किए गए ढांचागत शुल्क, यदि कोई हो, को उप नियम (3) के अंतर्गत मूल आवेदक (कों) को यथानुपात के आधार पर वापस कर दिया जाएगा, जिन्होंने पूरी लागत वहन की थी, जो कि अगले उपनियम (7) और (8) के अंतर्गत वापस की जाने वाली राशि कि सीमा तक होगी।

बशर्ते कि यदि ऐसे नए आवेदक (आवेदकों) को आपूर्ति के प्रावधान के लिए उप-विनियम (3) के तहत मूल आवेदक (आवेदकों) की लागत पर बनाई गई सुविधाओं/कार्यों के उपयोग के अलावा, कुछ अतिरिक्त ढांचागत कार्यों के निष्पादन की आवश्यकता होती है, तो ऐसे अतिरिक्त कार्यों की लागत सबसे पहले ऐसे नए आवेदकों से वसूले गए ढांचागत विकास शुल्क से काट ली जाएगी और ऐसे नए आवेदकों से वसूल की गई राशि में से केवल शेष राशि, यदि कोई हो, आनुपातिक आधार पर मूल आवेदक (ओं), जिन्होंने पूरी लागत वहन की थी, को वापस की जाएगी।

(7) उप-विनियम (3) के तहत किसी भी मूल आवेदक को रिफंड की अधिकतम अनुमेय राशि निम्नलिखित के योग से अधिक उसके द्वारा वास्तव में भुगतान की गई राशि से अधिक नहीं होगी-

- i. मूल रूप से स्वीकृत कुल कनेक्टेड भार/अनुबंध मांगों पर उप-विनियम (2) और (9) के तहत, उस अवधि जिसमें ऐसे भार/मांगों स्वीकृत की जाती हैं, पर लागू दरों पर ढांचा गत विकास शुल्क और जिसमें बाद में उसी आवेदक द्वारा उप-विनियम (5) के तहत प्राप्त किए गया भार शामिल है, और
- ii. मौजूदा और/या नए उप-स्टेशनों पर आवश्यक वे सहित कार्यों की लागत, जिन्हें विशेष रूप से ऐसे आवेदक या आवेदकों के समूह को बिजली की सुविधा, नियंत्रण और या आपूर्ति के लिए निष्पादित किया जा सकता है या निष्पादित करने की आवश्यकता है:

बशर्ते कि ऐसे आवेदक भुगतान की तिथि और रिफंड के बीच की अवधि, यदि कोई हो, के संबंध में उनके द्वारा भुगतान की गई राशि के किसी भी हिस्से पर किसी भी ब्याज के हकदार नहीं होंगे।

(8) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, अतिरिक्त क्षमता उप-विनियम (3) में निर्दिष्ट कार्यों के सभी मुख्य घटकों की क्षमता के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी, जिसमें लाइनें और ट्रांसफार्मर शामिल हैं, और, प्रत्येक घटक में 30% अतिरिक्त प्रदान करने के बाद, केवल ऐसी अतिरिक्त क्षमता जो सभी घटकों में समवर्ती रूप से उपलब्ध है, को अतिरिक्त क्षमता के रूप में माना जाएगा:

बशर्ते कि ईएचटी कार्यों के मामले में उक्त प्रत्येक घटक में 30% अतिरिक्त प्रदान करने के बाद दो मुख्य घटकों अर्थात् ईएचटी लाइन(नों) और ईएचटी सब-स्टेशन(नों) के लिए अतिरिक्त क्षमता अलग से निर्धारित की जा सकती है, उप-विनियम (3) के अंतर्गत प्रत्येक मूल आवेदक द्वारा भुगतान की गई राशियों और साथ ही पूर्व के उप-विनियम (4), (5) और (7) के तहत हकदारियां दो मुख्य घटकों यानी ईएचटी लाइन और ईएचटी उप-स्टेशन और उक्त दो घटकों में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता की वास्तविक लागत के संदर्भ में अलग से निर्धारित की जाएंगी।

(9) उप-विनियम (2) के तहत विशेष कार्यों या उप-विनियम (3) के तहत किसी भी कार्य के मामले में, लागत की वसूली शुरू में अनुमानित लागत के आधार पर की जाएगी जो अतिरिक्त के अधीन होगी, जैसा भी मामला हो, वसूली या रिफंड उसी तरीके से किया जाएगा जैसा इन विनियमों के विनियम 18 के उप-विनियमों (2) और (3) में उल्लिखित है।

3.5. कॉलोनियों और परिसरों आदि का विद्युतीकरण- (1) जम्मू और कश्मीर हाउसिंग बोर्ड, निजी डेवलपर्स, विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग विकास निगम और हाउसिंग सोसायटी जैसी विकास एजेंसियों द्वारा विकसित और/या प्रायोजित क्षेत्रों के विद्युतीकरण से जुड़े मामलों में विकासकर्ता एजेंसी विनियम-5 के उप-विनियम (2) और (9), या उप-विनियम (3) और (9) के तहत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए संपूर्ण शुल्क और/या लागत, जो भी लागू हो, वहन करेगी और लाइसेंसधारी विनियम 3.4 के उप-विनियम (9) के तहत अनुमानित लागत और वास्तविक लागत के बीच अंतर के समायोजन को छोड़कर, पूरी राशि प्राप्त करने के बाद ही ऐसे कार्यों का निष्पादन करेगा:

बशर्ते कि यदि विकासकर्ता एजेंसी विनियम 3.4 के उप-विनियम (3) और (9) के तहत कार्यों की पूरी लागत वहन करती है, तो विनियम 3.4 के उप-विनियम (4) से (8) के प्रावधान भी लागू होंगे।

(2) लाइसेंसधारी विनियम 3.3 और/या विनियम 14 के तहत व्यक्तिगत कनेक्शन के लिए सर्विस लाइनों और अन्य कार्यों की लागत व्यक्तिगत आवेदकों से वसूल करेगा:

बशर्ते कि लाइसेंसधारी उप-विनियम (1) के तहत बुनियादी ढांचे के कार्यों के अनुमान में वितरण मेन और कार्यों के लिए पर्याप्त प्रावधान करेगा ताकि व्यक्तिगत आवेदकों के लिए आवश्यक सर्विस लाइनें यथासंभव कम हों।

3.6. अतिरिक्त भार के लिए व्यय की वसूली:

(1) उप-विनियम (2) में दिए गए प्रावधान को छोड़कर, जहां बिजली के लिए स्थायी कनेक्शन का लाभ उठाने वाला मौजूदा उपभोक्ता पहले से स्वीकृत कनेक्टेड भार या अनुबंध मांग से अधिक, जैसा भी मामला हो, अतिरिक्त कनेक्टेड भार या अनुबंध मांग के लिए आवेदन करता है, वहाँ वसूली निम्नानुसार की जाएगी:

(क) विनियम 3.3 के तहत सर्विस लाइन की लागत के लिए व्यय/प्रभार के संबंध में -

- i. यदि मौजूदा सेवा लाइन में पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता है, तो जारी किए गए और/या उसी सेवा लाइन के माध्यम से जारी किए जाने वाले सभी कनेक्शनों की आवश्यकताओं को पूरा करने और ऐसी लाइन की कुल क्षमता का लगभग 30% अतिरिक्त के बाद, सेवा लाइन के लिए कोई अतिरिक्त लागत वसूल नहीं की जाएगी;
- ii. यदि अतिरिक्त कनेक्टेड भार या अनुबंध की मांग को पूरा करने के लिए सर्विस लाइन में पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध नहीं है, तो पूर्ववर्ती उप-खंड (i) के अनुसार, मौजूदा सर्विस लाइन को मजबूत करने की लागत, या एक नई सर्विस लाइन प्रदान करने की लागत को आवेदक से वसूल किया जाएगा:

बशर्ते कि उप-खंड (ii) के तहत वसूल की जाने वाली लागत इन विनियमों के विनियमन 3.3 के तहत कुल कनेक्टेड भार या अनुबंध मांग के लिए एक नई सर्विस लाइन प्रदान करने की लागत से अधिक नहीं होगी;

(ख) विनियमन 3.4 के तहत ढांचागत विकास शुल्क के संबंध में:

- i. यदि कुल भार के लिए आपूर्ति वोल्टेज आयोग के लागू टैरिफ आदेश के तहत आयोग द्वारा निर्धारित मानक आपूर्ति वोल्टेज के अनुसार अपरिवर्तित रहती है और विनियमन 3.4 के उपविनियम (3) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, तो आगामी उप-खंड (iii) के अधीन, ऐसे शुल्क केवल इन विनियमों के विनियम 3.4, विनियम 11 और 12 के उपविनियमों (2) और (9) के अनुसार अतिरिक्त कनेक्टेड भार/अनुबंध मांग के लिए वसूल किए जाएंगे; और
- ii. यदि आपूर्ति वोल्टेज परिवर्तित हो जाता है, लेकिन विनियम 3.4 के उप-विनियम (3) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, तो वसूली योग्य राशि की गणना की जाएगी और नए वोल्टेज पर स्वीकृत कुल संशोधित कनेक्टेड भार या अनुबंध मांग, जैसा भी मामला हो, के लिए विनियमन 3.4 के उपविनियम (2) और (9) के अनुसार वसूल की जाएगी; और
- iii. यदि, अतिरिक्त कनेक्टेड भार या अनुबंध मांग, जैसा भी मामला हो, की आपूर्ति के लिए विनियमन 3.4 के उप-विनियम (3) में निर्दिष्ट कार्यों के निष्पादन की आवश्यकता होती है, तो कुल संशोधित भार या अनुबंध मांग के लिए वसूली विनियम 3.4 के उपविनियम (3) और (9) के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

(2) किसी उपभोक्ता द्वारा कनेक्टेड भार या अनुबंध मांग में कमी की स्थिति में-

- i. लाइसेंसधारी ऐसी कटौती की तिथि से गणना की गई 365 दिनों की अवधि के लिए सेवा लाइन में पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता बनाए रखेगा, ताकि यदि उक्त उपभोक्ता बाद में 365 दिनों की उक्त अवधि के दौरान अपने कनेक्टेड भार या कम की गई अनुबंध मांग की बहाली के लिए आवेदन करता है तो भार को पूरा किया जा सके;;
- ii. यदि उक्त उपभोक्ता बाद में 365 दिनों की उक्त अवधि के दौरान अपने कनेक्टेड भार या इस प्रकार कम की गई अनुबंध मांग की बहाली के लिए आवेदन करता है, तो उप-विनियम(1) के खंड (ख) के उप-खंड (i) के तहत लगाए जाने वाले ढांचागत विकास शुल्क केवल कनेक्टेड भार या अनुबंध मांग की अतिरिक्त मात्रा के लिए लिया जाएगा, जो ऐसी कटौती से पहले उसके द्वारा प्राप्त की जा रही कुल मात्रा से अधिक है।

(3) जहां बिजली के लिए अस्थायी कनेक्शन वाला कोई उपभोक्ता स्थायी कनेक्शन चाहता है, तो मामले को विनियम 3.7 के तहत अस्थायी कनेक्शन को काटने और इन विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एक नया कनेक्शन प्रदान करने के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाएगा।

3.7. अस्थायी आपूर्ति - इन विनियमों में निहित कुछ भी विपरीत होने के बावजूद, लेकिन अस्थायी आपूर्ति के मामले में प्रारंभिक सुरक्षा जमा के पूर्व भुगतान और ऐसी आपूर्ति देने के लिए निष्पादित किए जाने वाले कार्यों की अनुमानित लागत के अधीन, अपेक्षित कार्य सामग्री, श्रम और विभागीय शुल्क की लागत सहित वास्तविक लागत के आधार पर समायोजन के अधीन लाइसेंसधारी द्वारा निष्पादित किया जाएगा:

बशर्ते कि यदि कोई आवेदक/उपभोक्ता बिजली की अस्थायी आपूर्ति के लिए स्वीकृत कनेक्टेड भार/अनुबंध मांग में संशोधन चाहता है, तो उसे अतिरिक्त कार्यों और/या मौजूदा कार्यों के सुदृढीकरण की अनुमानित लागत, यदि कोई हो, का भुगतान करना होगा, जो कि वास्तविक लागत के आधार पर समायोजन के अधीन भी होगा, और कनेक्टेड भार/मांग के ऐसे संशोधन के कारण सुरक्षा राशि में अंतर भी अन्य विनियमों के अनुसार देय/वापसी योग्य होगा:

बशर्ते कि यदि आपूर्ति बंद होने के बाद इस तरह से निष्पादित कार्यों को नष्ट कर दिया जाता है, तो हटाई गई सामग्री की लागत, इसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस विनियमन के तहत आवेदक से वसूल की गई लागत और शेष राशि, यदि कोई हो, से कम कर दी जाएगी। आवेदक/उपभोक्ता के विरुद्ध किसी भी अन्य बकाया को समायोजित करने के बाद उसे वापस कर दिया जाएगा:

आगे बशर्ते कि यदि कार्य या उसका कोई भाग नष्ट नहीं किया गया है और वितरण लाइसेंसधारी उसका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए करता है, तो आवेदक ऐसे कार्यों की वास्तविक लागत का केवल 30% वहन करेगा जो नष्ट नहीं किए गए हैं और खातों का निपटान तदनुसार किया जाएगा :

बशर्ते कि जहां लाइसेंसधारी तीस दिनों की अवधि के भीतर आवेदक/उपभोक्ता द्वारा देय बकाया राशि का समायोजन करने के बाद इस प्रकार गणना की गई राशि वापस कर देता है, आवेदक/उपभोक्ता को कोई व्याज नहीं दिया जाएगा।

अध्याय-IV

4. लो टेंशन आपूर्ति के लिए प्रावधान

4.1. लो टेंशन आपूर्ति के लिए आवेदन के मामले में, जहां ऐसी आपूर्ति के लिए केवल मौजूदा वितरण मेन से उपभोक्ता के परिसर तक सर्विस लाइन बिछाने की आवश्यकता होती है, वितरण लाइसेंसधारी उपभोक्ता के परिसर में सर्विस लाइन की लागत और टर्मिनल और मीटरिंग व्यवस्था की लागत का अनुमान लगाएगा, लेकिन इसमें मीटर की लागत शामिल नहीं है। विद्युत लाइनों, विद्युत संयंत्रों और मीटरिंग व्यवस्था की लागत का अनुमान वितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रकाशित नवीनतम लागत डेटा पर आधारित होगा।

उपरोक्त उपभोक्ताओं के संबंध में, वितरण लाइसेंसधारी विस्तृत व्यक्तिगत अनुमान तैयार करने की प्रक्रिया से बच सकता है और इसके बजाय प्रति केवी/अनुबंधित भार और प्रति मीटर दर के आधार पर शुल्क ले सकता है। यद्यपि वह व्यक्तिगत अनुमान तैयार नहीं करेगा, लेकिन वितरण लाइसेंसधारी उपभोक्ताओं की ऐसी श्रेणियों के संबंध में होने वाली लागत को बनाए रखेगा जिन्हें केवल सर्विस लाइन के विस्तार के माध्यम से बिजली प्रदान की जाती है (डीटीआर या एचटी लाइन बिछाने जैसे किसी भी कार्य को किए बिना)। इन श्रेणियों के उपभोक्ताओं की प्रति किलोवाट लागत निर्धारित करने के लिए औसत लागत (वितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रकाशित नवीनतम लागत डेटा के अनुसार) का उपयोग मानदंड के रूप में किया जाएगा।

4.2. (i) लो टेंशन कनेक्शन के लिए आवेदकों को आपूर्ति बढ़ाने के लिए, लाइसेंसधारी विद्युत संयंत्र जैसे वितरण ट्रांसफार्मर (डीटीआर) के साथ-साथ स्विच गियर आदि की लागत का अनुमान निम्नानुसार लगाएगा:

स्विचगियर सहित डीटीआर के निर्माण कार्य की लागत (रुपये में) = पी

केवीए में डीटीआर की रेटेड क्षमता = क्यू

लागत प्रति केवीए (रुपये में) = पी / क्यू

आवेदक के केवीए में अनुबंधित भार = के

आवेदक द्वारा विद्युत संयंत्र के लिए देय राशि (रुपये में) = के × (पी / क्यू)

मौजूदा विद्युत संयंत्र (जैसे डीटीआर और स्विचगियर इत्यादि) की क्षमता में वृद्धि की आवश्यकता होने पर, मौजूदा और नए विद्युत संयंत्र की अंतर लागत आनुपातिक शुल्क की गणना का आधार होगी।

वितरण लाइसेंसधारी ट्रांसफार्मर की पूरी लागत वसूल होने तक बाद के आवेदकों द्वारा देय राशि का अनुमान लगाना जारी रखेगा।

सभी मामलों में, विद्युत संयंत्र की लागत का अनुमान वितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रकाशित नवीनतम लागत डेटा पर आधारित होगा।

(ii) ऐसे अनुप्रयोगों के मामले में, जिनमें विद्युत संयंत्र (जैसे डीटीआर और स्विचगियर आदि) के निर्माण के अलावा, आवेदक को आपूर्ति प्रदान करने के लिए एचटी लाइन विद्युत या विस्तार की आवश्यकता होती है, एचटी लाइन के ऐसे खंड की लागत का अनुमान वितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रकाशित नवीनतम लागत डेटा के आधार पर प्रति किलोमीटर के आधार पर लगाया जाएगा।

वितरण लाइसेंसधारी निम्नलिखित श्रेणियों को छोड़कर सभी आवेदकों से, उप-खंड 4.2(i) और 4.2(ii) में उल्लिखित लागत की वसूली करेगा:

- क) कृषि कनेक्शन को छोड़कर कृषि उपभोक्ताओं को "तत्काल योजना" जैसी विशेष योजनाओं के तहत दिया जाएगा जो भविष्य में लाई जा सकती हैं।
- ख) जल कार्य और सीवरेज पंप, जो स्थानीय प्राधिकारी के अलावा किसी अन्य द्वारा/के लिए संचालित होते हैं
- ग) नगर निगम।
- घ) घरेलू उपभोक्ता
- ङ) 100 केवीए/125 एचपी तक की अनुबंध मांग वाले वाणिज्यिक उपभोक्ता।

अध्याय- V

5. हाई टेंशन/अतिरिक्त हाई टेंशन आपूर्ति हेतु प्रावधान

- i. ऐसे अनुप्रयोगों के मामले में जहां आवेदकों को आपूर्ति बढ़ाने के लिए सब-स्टेशन से एक नई एचटी लाइन या ईएचटी लाइन बनाने या मौजूदा एचटी या ईएचटी लाइन का विस्तार करने या मौजूदा एचटी या ईएचटी लाइन को मजबूत करने की आवश्यकता है, वितरण लाइसेंसधारी, एचटी के मामले में स्वयं और ईएचटी के मामले में पारेषण लाइसेंसधारी के साथ समन्वय में, उपभोक्ता के परिसर में टर्मिनल और मीटरिंग व्यवस्था की लागत सहित उपरोक्त कार्य की लागत का अनुमान तैयार करेगा, लेकिन इसमें मीटर की लागत शामिल नहीं होगी। ऐसा अनुमान वितरण लाइसेंसधारी और/या पारेषण लाइसेंसधारी द्वारा प्रकाशित नवीनतम लागत डेटा पर आधारित होगा।
- ii. ऐसे आवेदनों के मामले में जहां आवेदक को आपूर्ति बढ़ाने के लिए एक नया उप-स्टेशन बनाने की आवश्यकता है, वितरण लाइसेंसधारी, स्वयं या पारेषण लाइसेंसधारी के साथ समन्वय में, आवश्यक कार्यों की लागत का एक अनुमान तैयार करेगा जो उसी तरह से होगा जैसा कि ऊपर उप-खंड 4.2 (i) में दर्शाया गया है। ऐसे आवेदनों के मामलों में जब मौजूदा उप-स्टेशन की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता होती है, तो मौजूदा और नए ऐसे विद्युत

संयंत्रों की अंतर लागत आनुपातिक शुल्क की गणना का आधार बनेगी। ऐसे उप-स्टेशन की लागत का अनुमान वितरण लाइसेंसधारी और/या पारेषण लाइसेंसधारी द्वारा प्रकाशित नवीनतम लागत डेटा पर आधारित होगा।

- iii. वितरण लाइसेंसधारी एचटी स्तर पर नई मांग/भार विस्तार की मांग के लिए शुल्क की वसूली कर सकता है। संभावित आवेदकों से प्रति केवीए/किलोवाट के आधार पर और तकनीकी और अन्य बाधाओं और मापदंडों, यदि कोई हो, के आधार पर विस्तृत व्यक्तिगत अनुमान तैयार करने की छूट दी जा सकती है।
- iv. आवश्यकतानुसार आवश्यक विवरण आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा। आयोग विस्तृत जांच के बाद इसे स्वीकार कर सकता है या वितरण लाइसेंसधारी को आवश्यक विवरण दाखिल करने के लिए कह सकता है या स्वतः निर्देश जारी कर सकता है।
- v. वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली के लिए आयोग के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

अध्याय-VI

6. कनेक्शन जारी करने से पहले आवेदन वापस लेना – वास्तव में कनेक्शन जारी करने से पहले बिजली की आपूर्ति के लिए आवेदक द्वारा दिए गए आवेदन को वापस लेने या संभावित वापसी की स्थिति में, स्थायी आपूर्ति के लिए विनियम 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6 के तहत और अस्थायी आपूर्ति के लिए विनियमन 3.7 के तहत आपूर्ति प्रदान करने के कार्यों के लिए वास्तव में किए गए खर्च की गणना की जाएगी, और आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के अनुसार समायोजित किया जाएगा:

बशर्ते कि ऐसे समायोजन के प्रयोजन के लिए, स्थायी आपूर्ति के लिए विनियम 3.3, 3.4, 3.5, और 3.6 के तहत और अस्थायी आपूर्ति के लिए विनियम 3.7 के तहत कार्यों के लिए वास्तविक व्यय की गणना निम्नानुसार की जाएगी-

- i. विनियम 3.3 के तहत सर्विस लाइनों और अन्य कार्यों पर किए गए वास्तविक व्यय (विभागीय शुल्क सहित) को इस प्रावधान के आगामी खंडों के अनुसार निर्धारित व्यय के अतिरिक्त माना जाएगा;
- ii. विनियम 3.4 के उप-विनियम (3) के तहत कार्यों से जुड़े मामलों में, ऐसे कार्यों का वास्तविक व्यय (विभागीय शुल्क सहित) या विनियम 3.4 के उप-विनियम (2) के तहत मानक दरों पर ढांचागत विकास शुल्क का 10%, जो भी दोनों में से अधिक हो, इस परंतुक के पूर्ववर्ती खंड (i) में उल्लिखित व्यय के अतिरिक्त माना जाएगा;
- iii. ऐसे मामलों में जहां विनियमन 3.4 के उप-विनियम (3) के तहत कार्य शामिल नहीं हैं, उप-विनियम (2) के अनुसार आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर ढांचागत विकास शुल्क की राशि के 10% के बराबर राशि की गणना की जाएगी। विनियमन 3.4 को इस परंतुक के खंड (i) में उल्लिखित व्यय के अतिरिक्त वास्तविक व्यय भी माना जाएगा;
- iv. विनियम 3.4 के उप-विनियम (2) के पांचवें प्रावधान के अनुसार बिजली की आपूर्ति की सुविधा के लिए विशेष कार्यों से जुड़े मामलों में, ऐसे विशेष कार्यों पर वास्तविक व्यय को पूर्ववर्ती खंड (i), (ii) और (iii) के अतिरिक्त भी माना जाएगा।
- v. इन विनियमों के विनियम 7 के तहत अतिरिक्त कनेक्टेड भार या अनुबंध मांगों के लिए आवेदन के मामलों में, विनियम 3.3 और विनियम 3.4 या विनियम 3.5 के अंतर्गत आने वाले संबंधित कार्यों के लिए गणना और समायोजन अलग से विनियमन 3.6 के प्रावधानों के लिए जारी किए गए मांग नोटिस के आधार पर किया जाएगा; और

- vi. अस्थायी आपूर्ति के मामले में, जिसमें अतिरिक्त कनेक्टेड भार/अस्थायी आपूर्ति के लिए अनुबंध की मांग भी शामिल है, विनियम 3.7 के तहत, ऐसी आपूर्ति या अतिरिक्त कनेक्टेड भार/अनुबंध मांग देने के लिए निष्पादित किए जाने वाले आवश्यक कार्यों पर वास्तविक व्यय पर विचार किया जाएगा।

अध्याय-VII

7. **स्थायी विच्छेदन के बाद आपूर्ति की बहाली-** यदि आपूर्ति संहिता के प्रावधानों के अनुसार बिजली के स्थायी कनेक्शन वाले परिसर की आपूर्ति स्थायी रूप से विच्छेदित कर दी गई है और मूल उपभोक्ता या कोई अन्य व्यक्ति ऐसे परिसर में कनेक्शन के लिए आवेदन करता है, तो वितरण लाइसेंसधारी इन विनियमों के तहत नए कनेक्शन के लिए लागू खर्चों की वसूली के बाद नए कनेक्शन के लिए निर्धारित समय के भीतर आपूर्ति करेगा:

बशर्ते कि यदि इस प्रकार के परिसर में सर्विस लाइन को हटाया नहीं गया है या अन्य कनेक्शन के लिए प्रयोग नहीं किया गया है और यह अच्छी स्थिति में है और जारी किए गए या प्रस्तावित सभी कनेक्शन की आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद और इस प्रकार के आवेदक के लिए कनेक्टेड भार या अनुबंध मांग को पूरा करने के लिए इसमें 30 प्रतिशत अतिरिक्त क्षमता है, तो विनियम 3.3 के अंतर्गत सर्विस लाइन की लागत को वसूल नहीं किया जाएगा और कनेक्शन जितना जल्दी संभव हो जारी कर दिया जाएगा, जो नए कनेक्शन जारी करने के लिए लागू अन्य शर्तों के अधीन होगा:

बशर्ते कि ऐसे आवेदकों के मामले में, विनियम 3.5 और आयोग के अन्य विनियमों के तहत गणना की गई राशि उसी तरीके से वसूली योग्य होगी जैसे नए कनेक्शन के लिए लागू होती है:

बशर्ते कि यदि –

- i. ऐसे नए कनेक्शन के लिए आवेदन समान कनेक्टेड भार या अनुबंध मांग और आपूर्ति वोल्टेज के लिए है, जैसा कि मूल कनेक्शन के लिए स्वीकृत किया गया था;
- ii. नए आवेदक से आवेदन एक साथ या उस तिथि से 60 दिनों के भीतर प्राप्त होता है जिस दिन मूल कनेक्शन स्थायी रूप से काट दिया गया था;
- iii. विनियम 3.4 के उप-विनियम (3) के प्रावधान लागू नहीं हैं; और
- iv. आवेदक ऐसे पिछले कनेक्शन के विरुद्ध सभी बकाया राशि, यदि कोई हो, का भुगतान करता है जो स्थायी रूप से काट दिया गया है;

विनियम 3.4 के प्रावधानों के अनुसार, आवेदक द्वारा लागू कनेक्टेड भार या अनुबंध मांग के लिए देय ढांचागत विकास शुल्क और अन्य लागत की राशि को विनियम 3.4 के उप-विनियम (2) के तहत मूल रूप से स्वीकृत कनेक्टेड भार/अनुबंध मांग के लिए या नए आवेदक द्वारा आवेदन किए जाने पर मानक दरों पर गणना की गई ढांचागत विकास शुल्क की राशि का 90% कम किया जाएगा, दोनों में से जो भी कम हो:

बशर्ते कि यदि-

- i. नए आवेदक से आवेदन उस तिथि से 60 दिनों की अवधि के बाद प्राप्त होता है जिस दिन मूल कनेक्शन स्थायी रूप से काट दिया गया था; और
- ii. इस विनियम के तीसरे प्रावधान के अनुसार शर्त (ii) के अलावा अन्य सभी शर्तें पूरी की जाती हैं;
- iii. इस विनियम के तीसरे प्रावधान के अनुसार ऐसी छूट की प्रतिशत दर 60 दिनों की प्रारंभिक अवधि की समाप्ति के बाद 30 दिनों की प्रत्येक अवधि या उसके भाग के लिए 5% कम की जाएगी:

स्पष्टीकरण.-

यदि लाइसेंसधारी को नए कनेक्शन के लिए आवेदन 61वें दिन या उसके बाद और स्थायी रूप से कनेक्शन काटे जोन के 90 दिन के भीतर प्राप्त होता है, तो इस विनियम के चौथे प्रावधान के अंतर्गत ढांचागत विकास शुल्क के 85 प्रतिशत छूट की अनुमति होगी जिसकी गणना मूल रूप से मंजूर कनेक्टिड भार/अनुबंध मांग के लिए या नए आवेदक द्वारा आवेदन किए गए भार के लिए, दोनों में से जो भी कम हो, के लिए विनियम 5 के उप-नियम (2) के अनुसार मानक दर पर की जाएगी, और इस प्रकार प्रत्येक 30 दिनों के आगामी खंडों के लिए की जाएगी, जब तक कि छूट की दर शून्य न हो जाए:

बशर्ते कि इस विनियमन के तीसरे और चौथे प्रावधान के अनुसार स्वीकार्य छूट केवल विनियमन 3.4 के उप-विनियम (2) के तहत मानक दरों पर गणना की गई ढांचागत विकास शुल्क की राशि पर लागू होगी, न कि किसी अन्य शुल्क/लागत पर, जो इस विनियम के दूसरे परंतुक के अनुसार वसूली योग्य हो सकता है।

अध्याय- VIII**8. कार्यों का रखरखाव:-**

(1) वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में कोई भी प्रावधान होने के बावजूद, आवेदक द्वारा मांग के अनुसरण में आपूर्ति प्रदान करने के लिए किए गए सभी कार्य, या उसका कोई भी हिस्सा, जिसका भुगतान मांग करने वाले आवेदक द्वारा किया गया हो, उसका रखरखाव लाइसेंसधारी द्वारा किया जाएगा और लाइसेंसधारी को उक्त कार्यों के माध्यम से किसी अन्य संभावित आवेदकों या उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करने का भी अधिकार होगा और उक्त कार्य लाइसेंसधारी की संपत्ति बन जाएंगे।

(2) आपूर्ति कोड और संबंधित समझौतों के प्रावधानों के तहत निर्धारित आपूर्ति के प्रारंभ के इंटरफ़ेस बिंदु, लाइसेंसधारी और उपभोक्ता/आवेदक के बीच दायित्व का गठन करेंगे।

अध्याय- IX**9. पर्यवेक्षण शुल्क-** इन विनियमों के तहत लाइसेंसधारी द्वारा वसूल किए जाने वाले खर्चों में आपूर्ति संहिता के तहत उल्लिखित दर पर लाइसेंसधारी के पर्यवेक्षण शुल्क भी शामिल होंगे।

स्पष्टीकरण- इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "पर्यवेक्षण शुल्क" में स्थापना शुल्क, उपकरण और संयंत्र शुल्क, लेखा परीक्षा और लेखा शुल्क, निर्माण के दौरान रखरखाव, स्टॉक पर हानि, डिजाइन शुल्क, जनशक्ति व्यय और प्रधान कार्यालय आनुपातिक व्यय शामिल होंगे।

अध्याय- X**10. मानक लागत डेटा-**

(1) वितरण लाइसेंसधारी, सार्वजनिक आपत्तियाँ आमंत्रित करने के बाद, वार्षिक आधार पर, आयोग को उसकी जांच के लिए, प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर तक, उसके निदेशक मंडल/सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित एक लागत डेटा बुक (विभागीय शुल्क सहित) प्रस्तुत करेगा, जिसे वह अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपनाने का प्रस्ताव करता है, और आयोग के अवलोकन या निर्देशों, यदि कोई हो, पर ध्यान देने के बाद, प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर तक मानक लागत डेटा बुक प्रकाशित करता है और वही इन विनियमों के अनुसार औसत या मानक दरों को मंजूरी देने का और ऐसे मामलों में जहां लागत वास्तविक आधार पर वसूल की जानी है, आवेदकों को आपूर्ति प्रदान करने के लिए विद्युत लाइनों और/या विद्युत संयंत्रों और/या निष्पादित किए जाने वाले किसी अन्य कार्य के निर्माण के लिए प्रारंभिक अनुमान प्राप्त करने के लिए आधार बनेगा:

(2) वितरण लाइसेंसधारी उप-विनियम (1) के तहत प्रकाशित मानक लागत डेटा को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा और किसी भी इच्छुक व्यक्ति को मांगने पर उचित शुल्क पर उसकी प्रतियां भी उपलब्ध कराएगा।

अध्याय- XI

11. सर्विस कनेक्शन शुल्क की अनुसूची-

(1) वितरण लाइसेंसधारी अनुमोदन के लिए हर वर्ष आयोग के समक्ष अपनी टैरिफ याचिका के साथ सर्विस कनेक्शन शुल्क की एक अनुसूची दायर करेगा, जो इन नियमों में शामिल मामलों और ऐसी अन्य संबंधित विविध गतिविधियों के लिए लगाया जाएगा, जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं, जैसा कि अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति करने के अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए वितरण लाइसेंसधारी द्वारा किया जाना आवश्यक है:

बशर्ते कि वितरण लाइसेंसधारी अधिनियम की धारा 64 के तहत टैरिफ के निर्धारण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ सर्विस कनेक्शन शुल्क की अनुसूची भी दाखिल करेगा, जिसमें ऐसे विवरण भी शामिल होंगे जिनकी आयोग को आवश्यकता हो:

बशर्ते कि सर्विस कनेक्शन शुल्क की अनुसूची तैयार करते समय, विनियम 10 के उप विनियम (2) के अनुसार मानक लागत डेटा को ध्यान में रखा जाएगा।

(2) आयोग, उप-विनियम (1) के तहत वितरण लाइसेंसधारी द्वारा उसके समक्ष दायर सर्विस कनेक्शन शुल्क की अनुसूची की जांच करने के बाद, -

- i. शुल्कों की अनुसूची को ऐसे संशोधनों या ऐसी शर्तों के साथ अनुमोदित करेगा जो उस क्रम में निर्धारित की जा सकती हैं; या
- ii. यदि यह अधिनियम और/या इन विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, तो इसके समक्ष दायर सर्विस कनेक्शन शुल्क की अनुसूची को लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से अस्वीकार करेगा।

बशर्ते कि आयोग द्वारा अनुमोदित सर्विस कनेक्शन शुल्क की अनुसूची, जब तक कि अन्यथा संशोधित या निरस्त न की जाए, ऐसी अवधि के लिए लागू रहेगी जो आयोग द्वारा इस तरह की मंजूरी देने के आदेश में निर्धारित की जा सकती है और ऐसी विस्तारित अवधि के लिए भी लागू रहेगी जिसे आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए।

(3) सर्विस कनेक्शन शुल्क की अनुमोदित अनुसूची से कोई भी परिवर्तन केवल आयोग की पूर्व मंजूरी के साथ ही होगा।

12. सर्विस कनेक्शन शुल्क की अनंतिम अनुसूची-

(1) इन विनियमों में निहित किसी भी प्रावधान के बावजूद, आयोग अधिनियम और उसके तहत बनाए गए विनियमों के अंतर्गत बिजली आपूर्ति के अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए वितरण लाइसेंसधारी द्वारा की जाने वाली आवश्यक किसी भी गतिविधि/कार्यकलापों के लिए लगाए जाने वाले सर्विस कनेक्शन शुल्क की अनंतिम अनुसूची को अधिसूचित कर सकता है।

बशर्ते कि उप-विनियम (1) के तहत अधिसूचित सर्विस कनेक्शन शुल्क की अनंतिम अनुसूची एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के लिए होगी और जब तक आयोग द्वारा विस्तारित नहीं की जाती, एक सौ अस्सी दिन या वह तिथि जिस पर विनियम 11 के तहत सर्विस कनेक्शन शुल्क की अनुसूची को मंजूरी देने वाला आदेश जारी किया जाता है, जो भी पहले हो, की समाप्ति पर वैध और प्रभावी नहीं रहेगी।

(2) उप-विनियम (1) के तहत अधिसूचित सर्विस कनेक्शन शुल्क की अनंतिम अनुसूची के तहत ली गई राशि को विनियम 11 के तहत आयोग द्वारा अनुमोदित सर्विस कनेक्शन शुल्क की अनुसूची के तहत प्रभार्य राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

अध्याय- XII

13. बरामद रकम का लेखा-जोखा- विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर आपूर्ति के लिए विभिन्न खातों पर इन विनियमों के विभिन्न प्रावधानों के तहत वितरण लाइसेंसधारी द्वारा वसूली गई राशि को स्थायी और अस्थायी कनेक्शन और प्रत्येक प्रकार के शुल्क के साथ-साथ वोल्टेज स्तर की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग लेखांकन शीर्षों और उप-शीर्षों के तहत पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में अलग-अलग हिसाब लगाया जाएगा और, विनियम 3.4 के उप-विनियम (5), (6), (7) और (8) के प्रावधानों के अधीन, पूंजीगत व्यय योजना के तहत तत्कालीन पूंजीगत व्यय के एक हिस्से को पूरा करने के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जाएगा:

बशर्ते कि ऐसी पूंजीगत प्राप्तियां, जहां तक संभव हो, संबंधित श्रेणियों और संबंधित वोल्टेज स्तरों के विभिन्न कार्यों की अनुमानित लागत के न्यायसंगत अनुपात में उपयोग की जाएंगी:

बशर्ते कि किसी आवेदक या आवेदकों के समूह के लिए विशेष रूप से आवश्यक कार्यों के संबंध में पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग केवल ऐसे विशिष्ट कार्यों के लिए किया जाएगा।

अध्याय XIII

14. कार्यों का निष्पादन - आवेदकों को बिजली की आपूर्ति के लिए आवश्यक सर्विस लाइनें और अन्य कार्य सामान्य रूप से वितरण लाइसेंसधारी द्वारा निष्पादित किए जाएंगे:

बशर्ते कि आवेदक या उपभोक्ता, जैसा भी मामला हो, वितरण लाइसेंसधारी की पूर्व मंजूरी के साथ, जिसे आमतौर पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा, विद्युत निरीक्षक द्वारा लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार के माध्यम से सर्विस लाइन निष्पादित कर सकता है, और ऐसे मामलों में, निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे-

- i. आवेदक को विभिन्न कानूनों के तहत सभी अपेक्षित मंजूरी प्राप्त करनी होगी;
- ii. आवेदक विशिष्ट कार्यों के लिए पर्यवेक्षण शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा;
- iii. ऐसा विकल्प केवल आवेदक के लिए विशेष रूप से निष्पादित की जाने वाली सर्विस लाइन के लिए उपलब्ध होगा; और
- iv. सर्विस लाइन के अलावा अन्य कार्य वितरण लाइसेंसधारी द्वारा निष्पादित किए जाएंगे जब तक कि आवेदक के साथ वितरण लाइसेंसधारी द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर अन्यथा सहमति न हो।

ध्यान दें: इस विनियमन के पहले प्रावधान के तहत प्रावधान विशेष रूप से आवेदकों या उपभोक्ताओं के समूह के लिए निष्पादित की जाने वाली सेवा लाइनों के निष्पादन के लिए भी लागू होंगे, जैसा भी मामला हो, यदि ऐसे समूह के सभी सदस्य आपस में एक समझौता करते हैं और अपने प्रतिनिधि को नामांकित करते हैं जो ऐसे मामलों के लिए वितरण लाइसेंसधारी से निपटेंगे।

15. विभेदक लागत-

(1) वितरण लाइसेंसधारी इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार आवेदकों को बिजली कनेक्शन देने के लिए खर्च और/या शुल्क और किसी भी अन्य अतिरिक्त खर्च की वसूली करेगा, जो किसी भी विनियम या कानून के तहत आवेदकों से वसूली योग्य नहीं है और उसे पूंजीगत व्यय योजना के अनुमोदित वित्तीय प्रावधानों में से पूरा किया जाएगा।

(2) ऐसे मामलों में जहां कुछ कार्यों की लागत आवेदक या आवेदकों के समूह से प्रारंभ में अनुमान के आधार पर वसूल की जानी है और ऐसी वसूली इन विनियमों के वास्तविक प्रावधानों के अनुसार समायोजन के अधीन है, निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे-

- i. अनुमान विनियम 10 के उप-विनियम (2) के अनुसार मानक लागत डेटा के आधार पर तैयार किया जाएगा; और
- ii. लाइसेंसधारी, कार्य शुरू होने के नब्बे दिनों के भीतर, आवेदक/उपभोक्ता को, मद के साथ-साथ मद-वार अनुमान और वास्तविक व्यय का विवरण देते हुए प्रारंभिक अनुमानित राशि के संबंध में अधिकता या कमी दर्शाते हुए व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत करेगा। जहां तक संभव हो भिन्नता के शुद्ध आंकड़े और यदि आवेदक को किसी अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है, तो वितरण लाइसेंसधारी को ऐसी मांग प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर उसे प्रस्तुत करना होगा।

(3) वितरण लाइसेंसधारी, जैसा भी मामला हो, खाता जमा करने के 60 दिनों के भीतर वास्तविक व्यय और अनुमानित लागत के बीच का अंतर और अप्रतिदेय या अप्राप्य राशि की वसूली या वापसी करेगा। 60 दिनों की उक्त सीमा के बाद की अवधि के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लागू होगी।

16. किराये का घर्गाधिकार, सहमति, और अधिग्रहण-

(1) अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (2) और धारा 180 की उपधारा (2) के खंड (ख) के तहत केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अधीन, लाइसेंसधारी बिजली ले जाने के लिए किसी भी तार, खंभे, दीवार ब्रैकेट, स्टे उपकरण और उपकरणों को रखने के लिए आवश्यक किसी भी तरह की सुविधा, सहमति और अधिग्रहण प्राप्त करने के लिए, या आवेदक को कनेक्शन देते हुए लाइसेंसधारी के कार्यों के उचित समन्वय के लिए आवश्यक टेलीग्राफिक या टेलीफोन संचार के प्रसारण के लिए प्रयास करेगा:

बशर्ते कि ऐसे मामलों में जहां कार्यों की लागत आवेदक से वास्तविक आधार पर वसूल की जानी है, अनुमति प्राप्त करने की लागत भी वास्तविक आधार पर वसूली जाएगी, और ऐसे मामलों में जहां वसूली मानक दरों पर की जानी है, ऐसी अनुमतियाँ प्राप्त करने की लागत लाइसेंसधारी द्वारा वहन की जाएगी:

बशर्ते कि जहां तारों को दूसरे व्यक्ति की भूमि, परिसर या भवन के ऊपर से गुजरना हो, तारों को उक्त भूमि की सीमा रेखाओं, भवन के पीछे, गलियों और सड़कों पर, जो भी संभव हो, ले जाया जाएगा।

(2) यदि किसी भी स्तर पर लाइसेंसधारी को ऐसा आवश्यक हो, तो आवेदक/उपभोक्ता अपने परिसर के भीतर ट्रांसफार्मर और मीटरिंग व्यवस्था सहित संबंधित उपकरण के लिए आवश्यक स्थान प्रदान करेगा।

17. भुगतान का तरीका - आवेदक, विनियम 4 के तहत सर्विस लाइन बिछाने का काम शुरू करने से पहले और किसी भी अन्य कार्य के लिए, जिसके लिए इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्यों की पूरी लागत का भुगतान उसे करना आवश्यक है, मांग करने पर इन विनियमों और अन्य सभी प्रासंगिक विनियमों के तहत देय पूरी राशि, जो केवल ऐसे कार्यों की लागत तक ही सीमित नहीं है, को जमा करेगा।

18. डिमांड नोटिस - 90 दिनों के लिए वैध डिमांड नोटिस आवेदक को आपूर्ति कोड के तहत उल्लिखित समय सीमा के भीतर पंजीकृत एडी पोस्ट द्वारा भेजा जाएगा:

बशर्ते कि इन विनियमों के प्रारंभ होने की तिथि पर या उसके बाद जारी किए जाने वाले मांग नोटिस में आयोग के अन्य विनियमों और संहिताओं के अनुसार अन्य शर्तों के अलावा, इन विनियमों के नियमों और शर्तों को उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा:

बशर्ते कि यदि इन विनियमों के किसी भी नियम और शर्तों को इन विनियमों के लागू होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर जारी किए गए किसी भी मांग नोटिस में शामिल नहीं किया गया है, तो लाइसेंसधारी इसे संशोधित कर सकता है, ताकि इन विनियमों और अधिनियम के अनुसार नियम और शर्तों को इसमें शामिल किया जा सके।

बशर्ते कि इन विनियमों के प्रारंभ होने से पहले जारी किए गए मांग नोटिस और/या इन विनियमों के प्रारंभ होने से पहले जारी भार/मांगों के विरुद्ध अभी भी की जाने वाली मांगों आयोग के अन्य प्रासंगिक विनियमों और संहिताओं द्वारा शासित होती रहेंगी, लेकिन इन विनियमों को शामिल नहीं किया जाएगा, जब तक कि आयोग इस संबंध में कोई विशिष्ट आदेश जारी न करे:

बशर्ते कि ऐसे नोटिस में उल्लिखित अवधि के भीतर या लाइसेंसधारी और आवेदक के बीच पारस्परिक रूप से सहमत होने वाली अवधि के भीतर मांग नोटिस का अनुपालन न होने की स्थिति में, वह आवेदन, जिसके विरुद्ध मांग नोटिस जारी किया गया था, रद्द कर दिया जाएगा और मामले को आयोग के प्रासंगिक शासी विनियमों और संहिताओं के अनुसार आगे निपटाया जाएगा।

19. **कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति-** यदि इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग स्वप्रेरणा से या किसी आवेदन पर, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, उपयुक्त कार्यवाही कर सकता है या वितरण लाइसेंसधारी को ऐसी उपयुक्त कार्यवाही करने का निर्देश दे सकता है जो अधिनियम के साथ असंगत न हो, जो आयोग की राय में ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन हो।
20. **आदेश और प्रक्रिया निर्देश जारी करना-** अधिनियम और इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन, आयोग, समय-समय पर, इन विनियमों के कार्यान्वयन और विभिन्न मामलों के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के संबंध में आदेश और प्रक्रिया निर्देश जारी कर सकता है, जिनके लिए आयोग को इन विनियमों या अधिनियम द्वारा निर्धारित करने और मामले में आकस्मिक या सहायक कार्यों के लिए भी अधिकार दिया गया है।
21. **आयोग की अंतर्निहित शक्तियाँ-**
 - (1) इन विनियमों में कोई भी प्रावधान ऐसे आदेश देने के लिए आयोग की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा जो न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने या आयोग की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।
 - (2) इन विनियमों का कोई भी प्रावधान आयोग को ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेंगा, जो इन विनियमों के किसी भी प्रावधान से भिन्न हो, यदि आयोग, किसी मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और दर्ज किए जाने वाले कारणों से, लिखित रूप में, इसे आवश्यक या समीचीन समझता है।
 - (3) इन विनियमों में कुछ भी, स्पष्ट रूप से या निहित रूप से, आयोग को किसी भी मामले से निपटने या अधिनियम के तहत किसी भी शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेंगा, जिसके लिए कोई नियम नहीं बनाए गए हैं और आयोग ऐसे मामलों, शक्तियों और कार्यों से वैसे निपट सकता है, जिस तरह से वह उचित समझे।

आयोग के आदेश द्वारा।

वी. के. धर, (जेकेएस) सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./781/2023-24]

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
(For the UT of J&K and the UT of LADAKH)

NOTIFICATION

Jammu, 12th February, 2024

No. JERC-JKL/Reg/2024/6.—In exercise of the powers conferred under section 46, read with section 181, of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh hereby makes the following Regulations.

Chapter-I**1. Short Title, Commencement and Extent**

- 1.1. These Regulations shall be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (Licensee's Power to Recover Expenditure incurred in providing supply and other miscellaneous charges) Regulations, 2024.
- 1.2. These Regulations shall be applicable to all the distribution licensees in the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh.
- 1.3. These Regulations shall come into force from the date of their publication in the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh.

Chapter-II**2. Definitions**

2.1 In these Regulations, unless the context otherwise requires:

- a. **“Act”** means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), including amendments thereto;
 - b. **“Applicant”** means an owner or occupier of any land/premises (including the authorized representative of such owner or occupier) who makes an application to a licensee for the supply of electricity and/or for any other purpose covered under these Regulations;
 - c. **“Commission”** means the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh;
 - d. **“Distribution Licensee”** means a Licensee authorized to operate and maintain a Distribution System for supplying electricity to the Consumers in their Area of Supply.
 - e. **“Distribution main”** means the portion of any main with which a service line is, or intended to be, immediately connected.
 - f. **“Demand Notice”** means the notice to be issued by the licensee to the applicant in accordance with the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (Electricity Supply Code) Regulations, 2023, read with the provisions of these Regulations.
 - g. **“Distribution system”** means the system of wires and associated facilities between the delivery points on the transmission lines or the generating station connection and the point of connection to the installation of the consumer;
 - h. **“Electrical plant”** means any plant, equipment, apparatus, or appliance or any part thereof used for, or connected with, the generation, transmission, distribution, or supply of electricity but does not include:
 - i. an electrical line; or
 - ii. a meter used for ascertaining 'the quantity of electricity supplied to any premises; or
 - iii. an electrical equipment, apparatus, or appliance under the control of a consumer.
 - i. **“Extra high tension (EHT)”** means supply voltages above 33000 volts;
 - j. **“High Tension (HT) supply”** means electricity supplied at a Voltage greater than 400 V and lesser than 33000 V.
 - k. **“Low Tension (LT) supply”** means electricity supplied at a Voltage not exceeding 440 volts.
 - l. **“Supply Code”** means the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and the UT of Ladakh (Electricity Supply Code) Regulations, 2023, read with its amendments from time to time and the provisions of these Regulations; and
 - m. Other words and expressions used and not defined in these Regulations, but defined in the Act, shall have the meanings as assigned to them in the Act.
 - n. **“Year”** means financial year
- 2.2 The words and expressions used in these Regulations and not defined herein, but defined in the Act / Rules or any other Regulations of the Commission, shall have the meaning assigned to them under the Act / Rules or any other Regulations of the Commission.

2.3 Interpretation:

In the interpretation of these Regulations, unless the context otherwise requires:

- (a) Words in the singular or plural term; as the case may be, shall also be deemed to include the plural or the singular term, respectively.
- (b) The terms "include" or "including" shall be deemed to be followed by "without limitation" or "but not limited to" regardless of whether such terms are followed by such phrases or words of like import.
- (c) References herein to the "Regulation" shall be construed as a reference to these Regulations as amended or modified by the Commission from time to time in accordance with the applicable laws in force.
- (d) The headings are inserted for convenience and may not be taken into account for the purpose of interpretation of these regulations.
- (e) References to the statutes, regulations, or guidelines shall be construed as including all provisions consolidating, amending, or replacing such statutes, regulations, or guidelines, as the case may be, referred to.

Chapter-III

3.1 Duty of the distribution licensee to supply electricity on request and recovery of expenditure

- i. The Distribution Licensee shall, subject to the provisions contained in Section 43 of the Act, fulfill his obligation to supply electricity to the premises of consumers. Subject to the provisions of the Act and these Regulations and subject to such directions, orders, or guidelines as the Commission may issue from time to time, every Distribution Licensee is allowed to be recovered from an applicant, requiring supply of electricity, any expenses that the Distribution Licensee shall be required to reasonably incur to provide any electric line or electric plant specifically for the purpose of giving such supply to the applicant.
- ii. The Licensee shall lay free of charge a service line (overhead line or underground cable depending upon the type of distribution system existing) up to a length of 30 meters from its nearest distributing main on public roads, outside the limits of the property in respect of which requisition for electricity supply is received.
- iii. The entire service line, notwithstanding that a portion thereof has been paid for by the Consumer, shall be the property of the Distribution Licensee and by whom it shall be maintained and the Distribution Licensee has a right to use it for the supply of energy to any other person by tapping the service or otherwise except if such supply is detrimental to the supply to the consumer already connected therewith.

3.2 Power to recover expenditure: Subject to the provisions of the Act and these Regulations and subject further to such directions, orders, or guidelines that the Commission may issue, the distribution licensee is authorized to recover such expenses as may be reasonably incurred by it in providing any electric line and the electrical plant used for the purpose of giving supply of electricity and the recoverable expenditure shall be computed in accordance with the principles contained in these Regulations and at the rates approved by the Commission pursuant to these Regulations.

3.3 Expenses for providing service line- The distribution licensee shall recover all expenses reasonably incurred on the works related to laying of the service line to the premises of the applicant as well as the cost of providing terminal equipment and other arrangements (except the cost of meter, CT and PT) at the applicant's premises:

Provided that the distribution licensee may, with the approval of the Commission, recover the expenses on the basis of average or normative rates for providing the service lines for the purpose of giving supply of electricity to one or more categories of applicants based on connected load or contract demand, voltage level, nature of load, tariff classification and length and specification of service lines:

Provided further that in cases where the normative rates have been approved by the Commission for a particular period for a particular type of service line, the recovery for laying of that type of service line shall be made by the distribution licensee only in accordance with the rates and terms and conditions so approved by the Commission for that period:

Provided further that the Commission may direct the licensee to recover the cost-of-service line under this regulation at fixed per kilometer rates, based on the standard cost data, for all or any of the categories:

Provided further that the average or normative rates shall, unless specifically approved by the Commission, not apply to the temporary connections.

3.4 Expenses for the distribution system other than service lines- (1) The distribution licensee shall also be authorized to recover such proportion, as may be considered reasonable by the Commission, of the expenses incurred, or to be incurred, for creation, including augmentation or additions, of the distribution system, other than those for the service lines, for the infrastructural development as a continuous and coordinated process, so as to meet its obligations for supply of power to the applicants for permanent connections under the Supply Code and such recovery shall be regulated under the provisions of this regulation and also other relevant provisions of these regulations.

(2) Other than provisions provided under sub-regulation (3), the distribution licensee shall recover the expenses in the shape of infrastructural development charges at the normative rates and associated terms and conditions, as may be approved by the Commission for the various slabs and categories based on the connected load or contract demand and/or supply voltages and/or nature of loads and/or geographical areas and/or tariff classification:

Provided that for determining the normative rates per kW or kVA for the connected load or contract demand, as the case may be, the Commission shall ordinarily consider the following on a normative basis:

- i. the estimated cost of providing, erecting, and commissioning one transformer of appropriate capacity and voltage ratings on normative basis, along with two bays (i.e., one on each side of the transformer) but excluding the cost of land and other components of the sub-station;
- ii. the estimated costs of two electrical lines (i.e., one for each side of the transformer considered under the preceding clause (i)) of such normative lengths as may be considered appropriate by the Commission;
- iii. any other costs as may be considered appropriate by the Commission;
- iv. the connected loads or contract demands, as the case may be, that can be catered for various categories under preceding clauses (i), (ii), and (iii) after applying suitable demand and diversity factors and suitable factor(s) for redundancy in the system; and
- v. allocation factors as well as the terms and conditions, as the Commission may find to be reasonable and appropriate:

Provided further that the Commission may fix the normative rates in terms of per kVA of the contract demand and per kW of connected load, as the case may be:

Provided further that the Commission may, while fixing the normative rates, restrict the rates worked out under the first proviso to this sub-regulation to such ceiling limits for respective categories as it may consider necessary:

Provided further that the normative rates shall, unless specifically approved by the Commission, not apply to the temporary connections:

Provided further that the entire cost, including the cost of all components as well as the additional recovery or refund under sub-regulation (9), of the bays required to be executed at the sub-station(s), including the cost of re-organizing the bays, if any, exclusively for facilitating and/or controlling the supply of power to an applicant or group of applicants shall also be recovered from the applicant(s) in addition to the normative rates:

Provided further that in cases where provisions of sub-regulation (3) are attracted, the amounts worked out under this sub-regulation and sub-regulation (9) shall be considered as the minimum amounts to be borne by such applicants.

(3) In case of an applicant or group of applicants (s), where-

- i. The supply of power is required at a site in an area, that does not have appropriate infrastructure for catering loads of the nature and quantum required by the applicant(s) and where no other significant growth of load, at the voltage level similar to that at which supply is required, is foreseen in the immediate future, including the sites where locations of the loads depend upon the geographical factors and availability of basic raw-material such as for cement factories and construction power for hydro-electric projects; and
- ii. the total estimated cost of the works required to be executed for the appropriate capacities, keeping in view the minimum capacities standardized or generally planned by the licensee for the relevant voltage level(s), exceeds the summation of the amounts payable by the applicant or the group of applicants pursuant to sub-regulation (2);

The licensee may require the applicant or the group of applicants to deposit the entire estimated cost of the works required for facilitating adequate provision in backup system and supply of power to such applicants:

Provided that if subsequent to receipt of applications but before the commissioning of works, some more application(s) are received for loads to be released on a permanent basis, at voltage levels similar to those for the original applicant(s), by using the works envisaged for the original applicants, such additional applications shall be clubbed together with the original applications for the purpose of recovery of costs and treated at par with original applicants and shall also be considered as an original applicant(s) for all intents and purposes of regulation 3.4 and regulation 3.5:

Provided further that in case of works required to be executed for a group of applicants under this sub-regulation, the costs shall be apportioned as under-

- i. cost of common works shall be recovered on a pro-rata basis in the ratio of contract demands of various applicants;
- ii. cost of exclusive works shall be charged exclusively to the applicant(s) for whom such works have been/are required to be executed; and
- iii. cost of other works shall be charged, on a proportionate basis, to the applicants for whose benefit such works are required to be used:

Provided further that the provisions under the succeeding sub-regulations (4) to (9) shall also be applicable in case of the connections released under this sub-regulation.

- (4) The licensee shall be entitled to use the spare capacity in the works executed under sub-regulation (3) for the release of connections to the subsequent applicant(s), or otherwise, and also to recover the charges/costs, as per sub-regulations (2) and (9) as applicable, from such subsequent applicant(s).
- (5) The original applicant (s) under sub regulation 3, who have borne the entire cost of the infrastructural works, shall be entitled to use the spare capacity, if any, after providing for 30% redundancy in the total system created at their cost and the capacities used pursuant to preceding sub-regulation(4), on first come first serve basis, and no additional infrastructural development charges shall be recovered from such an original applicant/developing agency for use of such spare capacity so long as the amount borne by him after excluding the cost of exclusive work(s) and after adjusting the amount of refunds, if any, under succeeding sub-regulations(6),(7) and (8) is more than the minimum amount payable by him as per the sub-regulations (2) and (9) in respect of the total connected load/contract demand sanctioned, including the same sought to be sanctioned under this sub-regulation in his favour, as worked out at the rates for the respective periods in which such loads/demands are sanctioned.
- (6) If a subsequent application(s) are received within 5 years after the date of commissioning of works executed under sub-regulation (3), for permanent supply of power at a voltage level similar to that for the original applicant(s) under sub-regulation (3) and supply of power to such applicant(s) essentially involves usage of such works, on regular basis, the infrastructural development charges, if any, actually recovered from such subsequent applicants for the usage of spare capacity as quantified in accordance with sub-regulation (8) shall be refunded, on pro-rata basis, to the original applicant(s) under sub-regulation (3), who had borne the full cost, to the extent of the permissible amount of refund under succeeding sub-regulations (7) and (8) :

Provided that if the provision for supply to such new applicant (s) requires execution of certain additional infrastructural works, apart from the usage of the facilities/works created at the cost of original applicant(s) under sub-regulation (3), the cost of such additional works shall first be deducted from the infrastructural development charges recovered from such new applicant (s) and only the balance amount, if any, out of the amounts recovered from such new applicants, shall be refunded, on pro-rata basis, to the original applicant(s) who had borne the entire cost.

- (7) The maximum permissible amount of refund to any original applicant under sub-regulation (3) shall not exceed the amount actually paid by him in excess of the summation of the following-
 - i. the infrastructural development charges under sub-regulations (2) and (9) on the total connected load/contract demands sanctioned originally and including those availed subsequently by the same applicant, under sub-regulation (5), at the rates applicable for the respective periods in which such loads/demands are sanctioned; and
 - ii. the cost of works, including the bays required at the existing and /or new sub-stations, as may be executed or required to be executed exclusively for facilitating, control, and or supply of power to such applicant or group of applicants:

Provided that such applicant(s) shall not be entitled to any interest on any part of the amount paid by them in respect of the period between the date of payment and refund, if any.

- (8) For the purpose of these Regulations, the spare capacity shall be determined with reference to the capacity of all main components of the works referred to in sub-regulation (3), including line(s) and transformer(s), and only such spare capacity as is concurrently available in all the components, after providing for 30% redundancy in each of the components, shall be taken as the spare capacity:

Provided that in the case of EHT works the spare capacity may be determined separately for the two main components i.e. EHT line(s) and EHT Sub-station(s) after providing for 30% redundancy in each of the said components and in that case, the amounts paid by each original applicant under sub-regulation (3) as well as the entitlements under the preceding sub-regulations (4), (5), (6) and (7) shall be determined separately with reference to the actual costs of the two main components i.e. EHT line(s) and EHT sub-station(s) and the spare capacity available in the said two components.

- (9) In case of the exclusive works under sub-regulation (2) or of any of the works under sub-regulation (3), the recovery of cost shall be made initially on the basis of estimated cost which shall be subject to additional recoveries or refunds, as the case may be, in the same manner as outlined in sub-regulations (2) and (3) of regulation 18 of these Regulations.

- 3.5 Electrification of colonies and complexes etc.-** (1) In cases involving electrification of the areas developed and/or sponsored by the development agencies, like the Jammu & Kashmir Housing Board, Private Developers, Universities, Educational Institutions, the Industries Development Corporation and the Housing Societies and the like, the developing agency shall bear the entire charges and/or costs for the infrastructural development under sub-regulations (2) and (9), or sub-regulations (3) and (9), of regulation 5, whichever are applicable, and the licensee shall take up the execution of such works only after receiving the entire amounts, excepting those for the adjustments for the difference between estimated costs and actual costs under sub-regulation(9) of regulation 3.4:

Provided that in case the developing agency bears the entire cost of the works under sub-regulations (3) and (9) of Regulation 3.4, the provisions of sub-regulation (4) to (8) of Regulation 3.4 shall also be applicable.

- (2) The licensee shall recover the cost-of-service lines and other works for the individual connections from the individual applicants under regulation 3.3 and/or regulation 14:

Provided that the licensee shall make adequate provisions for distribution mains and works in the estimates for the infrastructural works under sub-regulation (1) in a manner that the service lines required for the individual applicants are as short as reasonably feasible.

3.6 Recovery of expenditure for additional loads:

- (1) Save as provided in sub-regulation (2), where an existing consumer availing permanent connection for electricity applies for additional connected load or contract demand, as the case may be, in excess of the connected load or contract demand, already sanctioned in his favour, the recovery shall be made as under:

(a) in relation to the expenses/charges for the cost-of-service line under regulation 3.3 -

- i. if the existing service line has sufficient spare capacity, after meeting the requirements of all the connections released and/or committed to be released through the same service line and redundancy of about 30% of the total capacity of such line, no additional cost shall be recovered for the service line;
- ii. if sufficient spare capacity is not available, in accordance with the preceding sub-clause (i), in the service line for meeting the additional connected load or contract demand, the cost of strengthening the existing service line, or of providing a new service line, shall be recovered from the applicant:

Provided that the cost to be recovered under sub-clause (ii) shall not exceed the cost of providing a new service line for the total connected load or contract demand under regulation 3.3 of these Regulations;

(b) in relation to the infrastructural development charges under regulation 3.4:

- i. if the supply voltage for the total load remains unchanged as per the standard supply voltages fixed by the Commission under the applicable Tariff Order of the Commission and the provisions of sub-regulation (3) of regulation 3.4 are not attracted, then, subject to succeeding sub-clause (iii), such charges shall be recovered only for the additional connected load/contract demand in accordance with sub-regulations (2) and (9) of regulation 3.4, regulations 11 and 12 of these Regulations; and
- ii. if the supply voltage gets changed, but provisions of sub-regulation (3) of regulations 3.4 are not attracted, then the recoverable amount shall be worked out and recovered in accordance with sub-regulations (2) and (9) of regulation 3.4 for the total revised connected load or contract demand, as the case may be, sanctioned at the new voltage; and

- iii. if the supply of additional connected load or contract demand, as the case may be, requires the execution of works referred to in sub-regulation (3) of regulation 3.4, the recovery shall be made for the total revised load or contract demand, as the case may be, in accordance with the provisions of the sub-regulations (3) and (9) of regulation 3.4;

(2) In case of reduction of the connected load or contract demand, by a consumer-

- i. The licensee shall maintain adequate spare capacity in the service line for a period of 365 days reckoned from the date of such reduction, so as to meet the load if the said consumer subsequently applies for restoration of his connected load or contract demand so reduced, during the said period of 365 days;
- ii. the infrastructural development charges leviable under sub-clause (i) of clause (b) of sub-regulation (1) shall be charged only for the additional quantum of connected load or contract demand, exceeding the total quantum which was being availed by him prior to such reduction, if the said consumer subsequently applies for restoration of his connected load or contract demand so reduced, during the said period of 365 days

(3) Where a consumer having a temporary connection for electricity seeks a permanent connection, the matter shall be dealt with in accordance with respective provisions for disconnection of a temporary connection under regulation 3.7 and for providing a new connection under relevant provisions of these Regulations.

3.7 Temporary supplies- Notwithstanding anything to the contrary contained in these Regulations, but subject to the prior payment of an initial security deposit in the case of temporary supplies and the estimated cost of the works required to be executed for giving such supply, the requisite works shall be executed by the licensee subject to adjustments based on actual cost including the cost of material, labour and departmental charges:

Provided that in case an applicant/consumer for a temporary supply of power seeks revision of sanctioned connected load/contract demand, he shall be required to pay the estimated cost of additional works and/or of strengthening of existing works, if any, which shall also be subject to adjustments based on actual cost, and the difference in security amount on account of such revision of connected load/demand shall also be payable/refundable as the case may be in accordance with other Regulations:

Provided further that in case the works so executed are dismantled after discontinuance of supply, the cost of the material removed shall, after taking into consideration its condition, be reduced from the costs recovered from the applicant under this regulation and the balance amount, if any, after adjusting any other dues against the applicant/consumer shall be refunded to him:

Provided further that if the works or a part thereof are not dismantled and the distribution licensee uses the same for some other purposes, the applicant shall bear only 30% of the actual cost of such works as are not dismantled and the accounts shall be settled accordingly:

Provided further that where the licensee refunds the amount so worked out, after making adjustment of the outstanding amount due to him by the applicant/consumer, within a period of thirty days, no interest shall be paid to the applicant/consumer.

Chapter-IV

4. Provision for low tension supply

4.1 In case of applications for Low Tension supply, where such supply requires only laying the service line from the existing distributing main to the consumer's premises, the Distribution licensee shall estimate the cost-of-service line and the cost of terminal and metering arrangements at the premises of the consumer, but not including the cost of meter. The estimate of the cost of electric lines, electrical plants, and metering arrangements shall be based on the latest cost data as published by the Distribution Licensee.

In respect of the above consumers, the Distribution Licensee may dispense with the process of preparation of detailed individual estimates and instead charge on the basis of per KV/ of contracted load and per Meter rate. Although it will not prepare individual estimates, the Distribution Licensee shall maintain the cost incurred in respect of such categories of the consumers who are provided with electricity only through the extension of the service line (without undertaking any of the work like DTR or laying of HT line). The average cost incurred (according to the latest cost data as published by the Distribution Licensee) shall be used as the yardstick for determining the per kW cost of these categories of consumers.

4.2 (i) For extending supply to the applicants for Low Tension connection, the licensee shall estimate the cost of electrical plant such as distribution transformer (DTR) along with switch gear, etc, as follows:

Cost of the works of erection of DTR including switchgear (in Rupees) = P

Rated capacity of DTR in KVA = Q

Cost per KVA (in Rupees) = P/Q

Contracted load in KVA of the applicant = K

The amount payable by the applicant towards the electrical plant (in Rupees) = $K \times (P/Q)$

On the requirement of the augmentation of the capacity of an existing electrical plant (such as DTR and switchgear etc.), the differential cost of the existing and new electrical plant will form the basis of the calculation of pro-rata charges.

The distribution licensee shall continue to estimate the amounts payable by subsequent applicants as above till the full cost of the transformer is recovered.

In all cases, the estimate of the cost of the electrical plant shall be based on the latest cost data as published by the Distribution licensee.

(ii) In cases of applications which besides the erection of an electrical plant (such as DTR and switchgear etc.), need laying or extension of the HT line for providing supply to the applicant, the estimate of the cost of such section of HT line shall be made on a per kilometer basis based on the latest cost data as published by the Distribution Licensee.

The Distribution Licensee shall recover the cost, as mentioned in the sub-clause 4.2(i) and 4.2(ii), from all the applicants excluding following categories:

- a) Agricultural consumers with the exception of Agricultural connection to be given under special schemes like "Tatkal Scheme" which maybe brought out in future.
- b) Water Works and Sewerage Pumps operated by/for any local authority other than
- c) Municipal Corporation.
- d) Domestic consumers
- e) Commercial consumers up to 100 KVA/125 HP of contract demand.

Chapter-V

5. Provision for high-tension / extra high-tension supply

- i. In case of applications where there is a need to erect a new HT line or EHT line from the sub-station or extend the existing HT or EHT line or strengthen of existing HT or EHT line in order to extend supply to the applicants, the Distribution Licensee, on its own in case of HT, and in co-ordination with Transmission Licensee in case of EHT, shall prepare an estimate of the cost of aforementioned work including the cost of terminal and metering arrangements at the premises of the consumer, but not including the cost of meter. Such estimate shall be based on the latest cost data as published by the Distribution Licensee and/or Transmission Licensee.
- ii. In case of applications where there is a need to erect a new sub-station for extending supply to the applicant, the Distribution Licensee, on its own or in coordination with the Transmission Licensee, shall prepare an estimate of the cost of the necessary works in the same way as indicated in sub-clause 4.2 (i) above. In cases of applications when the capacity of the existing substation is required to be augmented, the differential cost of existing and new such electrical plants will form the basis of the calculation of pro-rata charges. The estimate of the cost of such substation shall be based on the latest cost data as published by the Distribution Licensee and./or the Transmission Licensee.
- iii. The Distribution Licensee may recover the charges for seeking new demand/ Load extension at HT level on Rs. Per kVA/Kw basis from prospective applicants and may dispense with the preparation of detailed individual estimates depending on technical and other constraints and parameters, if any.
Necessary details shall be submitted to the Commission, as may be required. The Commission may accept the same after detailed scrutiny or ask the Distribution Licensee to file necessary details, as may be required or issue suo moto directions.
- iv. The methodology to be adopted by the Distribution Licensees shall require the Commission's approval.

Chapter-VI

6. **Withdrawal of application before the release of connection-** In case of withdrawal, or deemed withdrawal, of an application by the applicant for the supply of power before the actual release of connection, the expenses actually incurred for the works for providing supply under regulations 3.3, 3.4, 3.5 and 3.6 for permanent supply and under regulation 3.7 for temporary supply, shall be adjusted as per the provisions of the Supply Code:

Provided that for the purpose of such adjustment, actual expenditure for the works under regulations 3.3, 3.4, 3.5, and 3.6 for permanent supply and under regulation 3.7 for temporary supply shall be computed as under-

- i. The actual expenditure (including departmental charges) incurred on the service lines and other works under regulation 3.3 shall be considered in addition to the expenses determined as per the succeeding clauses of this provision;
- ii. in cases involving works under sub-regulation (3) of regulation 3.4, the actual expenditure (including departmental charges) of such works or 10% of the infrastructural development charges at the normative rates under sub-regulation (2) of regulation 3.4, whichever of the two is higher, shall be considered in addition to the expenditure mentioned in the preceding clause (i) of this proviso;
- iii. in cases where the works under sub-regulation (3) of regulation 3.4 are not involved, an amount equal to 10% of the amount of infrastructural development charges worked out at the rates fixed by the Commission pursuant to sub-regulation (2) of regulation 3.4 shall also be considered as the actual expenses in addition to the expenditure mentioned in clause (i) of this proviso;
- iv. in cases involving exclusive work(s) for facilitating the supply of power as per the fifth proviso to sub-regulation (2) of regulation 3.4, the actual expenditure on such exclusive works shall also be considered in addition to preceding clauses (i), (ii) and (iii) of this proviso;
- v. in cases of applications for additional connected loads or contract demands under regulation 7 of these Regulations, the computations and adjustments shall be done separately for the respective works falling under regulation 3.3 and regulation 3.4 or regulation 3.5, based on the demand notice issued pursuant to the provisions of regulation 3.6; and
- vi. in case of temporary supplies, including for additional connected loads/contract demands for temporary supplies, under regulation 3.7, the actual expenditure on the works required to be executed for giving such supply or additional connected loads/contract demands shall be considered.

Chapter-VII

7. **Restoration of supply after permanent disconnection-** In case the supply to premises having a permanent connection of electricity has been permanently disconnected in accordance with the provisions of the Supply Code and the original consumer or some other person applies for a connection at such premises, the distribution licensee shall provide supply within the time allowed for a new connection after recovery of expenses applicable for new connections under these Regulations:

Provided that if the service line to such premises has not been removed or used for the release of other connections and is in good condition and also has sufficient spare capacity, after meeting the requirements of all the connections released or committed to be released through the same service line and redundancy of about 30% of the total capacity of such line, to cater to the connected load or contract demand applied for by such applicant, the cost of service line under regulation 3.3 shall not be recovered and the connection shall be released at the earliest subject to other conditions applicable for release of new connections:

Provided further that in case of such applicants, the amounts worked out under regulation 3.5 and other Regulations of the Commission shall be recoverable in the same manner as applicable for new connections:

Provided further that if –

- i. The application for such a new connection is for a similar connected load or contract demand and supply voltage, as had been sanctioned for the original connection;
- ii. The application from the new applicant is received simultaneously or within 60 days from the date on which the original connection was permanently disconnected;
- iii. The provisions of sub-regulation (3) of regulation 3.4 are not attracted; and
- iv. The applicant clears all outstanding dues, if any, against such previous connection which has been permanently disconnected;

The amount of infrastructural development charges and other costs payable by the applicant for the connected load or contract demand applied for, as per the provisions of regulation 3.4 shall be reduced by 90% of the amount of the infrastructural development charges worked out at the normative rates under sub-regulation (2) of regulation 3.4 for the connected load/ contract demand originally sanctioned or for the same applied for by the new applicant, whichever of the two is lower:

Provided further that if-

- i. The application from the new applicant is received after a period of 60 days from the date on which the original connection is permanently disconnected; and

- ii. All other conditions, other than condition (ii) as per the third proviso to this regulation are fulfilled:
- iii. The percentage rate of such rebate as per the third proviso of this regulation shall be reduced by 5% for every period of 30 days or part thereof after the expiry of the initial period of 60 days:

Explanation.- If the application for the new connection is received by the licensee on or after the 61st day but up to and inclusive of the 90th day from the date of permanent disconnection, the rebate under the fourth proviso to this regulation shall be allowed @ 85% of infrastructural development charges worked out at the normative rate as per sub-regulation (2) of regulation 5 for the connected load/contract demand originally sanctioned or for the same applied for by the new applicant, whichever of the two is lower, and so on for every subsequent block of 30 days till such time the rate of rebate becomes zero:

Provided further that the rebate admissible as per the third and fourth provisos to this regulation shall be applicable only on the amount of infrastructural development charges worked out at normative rates under sub-regulation (2) of regulation 3.4 and not on any other charges/costs as may be recoverable in accordance with the second proviso to this regulation.

Chapter-VIII

8. Maintenance of works. -

- (1) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, all the works erected for providing supply in pursuance of requisition by the applicant, or any portion thereof, which may have been paid for by the applicant making requisition, shall be maintained by the licensee and the licensee shall also have the right to supply electricity to any other prospective applicants or the consumers, through the said works and the said works shall become the property of the licensee.
- (2) The interface points of commencement of supply, as determined under the provisions of the Supply Code and the relevant agreements, shall constitute the liability between the licensee and the consumer/ applicant.

Chapter-IX

9. Supervision charges- The expenses recoverable by the licensee under these regulations shall also include the licensee's supervision charges at the rate as mentioned under the Supply Code.

Explanation- For the purposes of these regulations, the expression "Supervision charges" shall include establishment charges, tools and plant charges, audit and accounts charges, maintenance during construction, loss on stock, design charges, manpower expenses, and head office pro rata expenses.

Chapter-X

10. Standard cost data-

- (1) The distribution licensee shall, after inviting public objections, submit, on an annual basis, to the Commission for its scrutiny, by 30th September of each year, a cost data book (including departmental charges) duly approved by its Board of Directors/competent authority, which it proposes to adopt for the subsequent financial year, and publish the standard cost data book by 15th November of each year, after attending to the observation or directions, if any, of the Commission, and the same shall form the basis for approving the average or normative rates as per these regulations and also for making the initial estimates for erection of electric lines and/or electrical plants and/or any other works to be executed in order to provide supply to the applicants in cases where the cost is to be recovered on actual basis:
- (2) The distribution licensee shall upload the standard cost data, published under sub-regulation (1), on its website and also make available copies of the same to any interested person on demand at a reasonable charge.

Chapter-XI

11. Schedule of service connection charges-

- (1) The distribution licensee shall file a schedule of service connections charges along with their Tariff Petition every year before the Commission for approval, which is to be levied for the matters contained in these regulations and such other related miscellaneous activities, not covered elsewhere, as are required to be undertaken by the distribution licensee to fulfill its obligations to supply electricity to the consumers under the Act:

Provided that the distribution licensee shall also file the schedule of service connection charges along with every application for determination of tariff under section 64 of the Act together with such particulars as the Commission may require:

Provided further that while preparing the schedule of service connection charges, the standard cost data as per the sub regulation (2) of Regulation 10, shall be taken into account.

- (2) The Commission shall, after examining the schedule of service connection charges filed before it by a distribution licensee under sub-regulation (1), may-
- i. Approve the schedule of charges with such modifications or such conditions as may be prescribed in that order; or
 - ii. reject the schedule of service connection charges filed before it for reasons to be recorded in writing if it is not in accordance with the provisions of the Act and/or these Regulations:

Provided further that the schedule of service connection charges approved by the Commission shall, unless otherwise amended or revoked, continue to be in force for such period as may be prescribed in the order of the Commission granting such approval and also for such extended period as may be approved by the Commission.

- (3) Any deviation from the approved schedule of service connection charges shall be only with the prior approval of the Commission.

12. Provisional schedule of the service connection charges-

- (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in these Regulations, the Commission may notify provisional schedule of service connection charges to be levied for any of the activity/activities required to be undertaken by the distribution licensee to fulfill its obligations to supply electricity under the Act and the Regulations framed thereunder.

Provided that the provisional schedule of service connection charges notified under sub-regulation (1) shall be for a period of one hundred and eighty days and shall, unless extended by the Commission, cease to be valid and effective on the expiry of the period of one hundred and eighty days or the date on which the order approving the schedule of service connection charges is issued under regulation 11, whichever is earlier.

- (2) The amount charged under the provisional schedule of service connection charges notified under sub-regulation (1) shall be adjusted against the amount chargeable under the schedule of service connection charges approved by the Commission under regulation 11.

Chapter-XII

13. **Accounting of the amounts recovered-** The amounts recovered by the distribution licensee under various provisions of these Regulations on various accounts for supply at different voltage levels shall be accounted for separately as capital receipts under separate accounting heads and sub-heads for permanent and temporary connections and also each type of charges as well as for each category of voltage level and shall, subject to the provisions of sub-regulations (5), (6), (7) and (8) of regulation 3.4, be used exclusively for meeting a part of the capital expenditure under the capital expenditure plan:

Provided that such capital receipts shall, as far as possible, be utilized in an equitable proportion of the estimated cost of various works of the respective categories and respective voltage levels:

Provided further that the capital receipts in respect of the works required exclusively for an applicant or group of applicants shall be used for such exclusive works only.

Chapter-XIII

14. **Execution of works-** The service lines and other works required for supplying power to the applicant(s) shall normally be executed by the distribution licensee:

Provided that the applicant or the consumer, as the case may be, may, with the prior approval of the distribution licensee which shall ordinarily not be refused, execute the service line through an electrical contractor licensed by the Electrical Inspector, and in such cases, the following provisions shall apply-

- i. all the requisite clearances under various laws shall be obtained by the applicant;
- ii. the applicant shall be liable to pay the Supervision charges for the specific works;
- iii. such option shall be available to the applicant only for the service line to be executed exclusively for the applicant; and
- iv. works other than service line shall be executed by the distribution licensee unless mutually agreed otherwise by the distribution licensee with the applicant, on mutually agreed terms and conditions.

Note: The provisions under the first proviso to this regulation shall also apply for execution of service lines to be executed exclusively for a group of applicants or consumers, as the case may be, if all the members of such group enter into an agreement amongst themselves and nominate their representative who shall then deal with the distribution licensee for such matters.

15. Differential costs-

- (1) The distribution licensee shall recover the expenses and/or charges for giving electricity connections to the applicants as per the provisions of these Regulations and any other additional expenses, that are not recoverable from the applicants under any Regulations or Law and shall be met out of the approved financial provisions of the capital expenditure plan.
- (2) In cases where the cost of certain works is to be recovered from the applicant or group of applicants initially on the basis of estimate and such recovery is subject to adjustment as per actual the provisions of these regulations, the following provisions shall apply-
 - i. The estimate shall be prepared on the basis of the standard cost data as per sub-regulation (2) of Regulation 10; and
 - ii. the licensee shall, within ninety days of commissioning of the works, render to the applicant/consumer, the account of expenditure showing the excess or deficit in relation to the initial estimated amount giving details of item-wise estimation and actual expenditure along with the item wise figures of variance to the extent possible and if applicant requires any additional information, the distribution licensee shall furnish the same within ten days of receipt of such requisition.
- (3) The distribution licensee shall recover or refund, as the case may be, the difference between the actual expenditure and the estimated cost within 60 days from the submission of the account and the unrefunded or unrecovered amounts, as the case may be, shall attract simple interest @ 12% per annum for the period beyond the said limit of 60 days.

16. Way-leaves, consents, and acquisitions-

- (1) Subject to the provisions of the rules framed by the Union Territory Government under sub-section (2) of section 67 and clause (b) of sub-section (2) of section 180, of the Act, the licensee shall try to obtain any way leaves, consents and acquisitions required for placing of any wires, poles, wall brackets, stays apparatus and appliances for the carrying electricity, or for the transmission of telegraphic or telephonic communications necessary for proper coordination of the works of the licensee while giving connection to the applicant:

Provided that in cases where the cost of works is to be recovered from the applicant on an actual basis, the cost of obtaining the permissions shall also be recovered on an actual basis, and in cases where the recovery is to be made at normative rates, the cost of obtaining such permissions shall be borne by the licensee:

Provided further that where wires are to pass over other person's land, premises, or building, the wires shall be routed along the boundary lines of the said land, set back of the building, streets, and roads, whichever is feasible.

- (2) The applicant/consumer shall provide the required space within his premises for the transformer and associated equipment including metering arrangements, if so required by the licensee at any stage.

17. Manner of payments- The applicant shall, before the commencement of work of laying service line under regulation 4 and any other works for which the entire cost of the works is required to be paid by him as per the provisions of these regulations, deposit on notice of demand, the entire amount, not limited to the cost of such works only, payable under these Regulations and all other relevant Regulations.

18. Demand notice- Demand notice valid for 90 days shall be sent by the registered AD post to the applicant within the time frame mentioned under Supply Code:

Provided that the demand notices to be issued on or after the date of commencement of these regulations shall suitably incorporate the terms and conditions of these regulations, apart from other conditions as per other Regulations and Codes of the Commission:

Provided further that if any of the terms and conditions of these regulations remain unaccounted for in any of the demand notices issued on or within 90 days from the date on which these regulations come into force, the licensee may revise the same, so as to incorporate the terms and conditions as per these Regulations and the Act:

Provided further that the demand notices issued prior to commencement of these Regulations and/or the demands still to be raised against the loads/demands released prior to commencement of these Regulations shall continue to be governed by other relevant Regulations and Codes of the Commission, but not including these Regulations, unless the Commission issues any specific order in this regard:

Provided further that in case of non-compliance of the demand notice within the period mentioned in such notice or within such period as may be mutually agreed between the licensee and the applicant, the application, against which the demand notice had been issued, shall be treated as withdrawn and the matter shall be further dealt with in accordance with relevant governing Regulations and Codes of the Commission.

- 19. Power to remove difficulties-** If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these regulations, the Commission may, suo motu or on an application, by general or special order, take suitable action or direct the distribution licensee to take such suitable action not being inconsistent with the Act which, in the opinion of the Commission, is necessary or expedient for removing such difficulties.
- 20. Issue of orders and practice directions-** Subject to the provisions of the Act and these Regulations, the Commission may, from time to time, issue orders and practice directions in regard to the implementation of these regulations and the procedures to be followed on various matters for which the Commission has been empowered by these Regulations or the Act to lay down and also for the matter's incidental or ancillary thereto.
- 21. Inherent power of the Commission-**
- (1) Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent powers of the Commission to make such orders as may be necessary for meeting the ends of justice or to prevent the abuse of the process of the Commission.
 - (2) Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting a procedure, which is at variance with any of the provisions of these regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters and for reasons to be recorded, in writing, deems it necessary or expedient.
 - (3) Nothing in these Regulations shall, expressly or impliedly, debar the Commission to deal with any matter or exercise any power under the Act for which no regulations have been framed and the Commission may deal with such matters, powers, and functions in a manner it thinks fit.

By Order of the Commission.

V. K. DHAR, (JKAS) Sec.

[ADVT.-III/4/Exty./781/2023-24]